राष्ट्रीय न्यास

क्षमता विकास, बढ़ाये विश्वास

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110 060 दूरभाष: 011 43187878

ईमेल: contactus@thenationaltrust.in **वेबसाइट:** www.thenationaltrust.gov.in

राष्ट्रीय न्यास की 19 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन सत्र के पश्चात् राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह छायाचित्र

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेलः min-sje@nic.in

संदेश

मैं राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के प्रकाशन का संदेश प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्न हूँ । राष्ट्रीय न्यास अपने सभी उद्देश्यों को समर्पित भाव से पूरा कर रहा है तथा नए अभिनव इरादों के साथ दिव्यांगजनों तक पहूँच रहा है और उन्हें लाभांवित कर रहा है । इस वर्ष, **'संपर्क इन दि आवर ऑफ नीड'** कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों को कम करने में सहायता की है तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए सुपर साईक्लोन 'फानी' और 'बुलबुल' जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में दिव्यांगजनों से निरंतर संचार और समर्थन विकसित करने का प्रयास किया है ।

मैं राष्टीय न्यास परिवार के लिए भविष्य में सफल प्रयासों तथा आने वाले वर्षों के लिए और अधिक सफलता की कामना करता हूँ ।

28.7.20

(थावरचंद गेहलोत)

कृष्ण पाल गुर्जर
KRISHAN PAL GURJAR

सत्यमेव जयते

No. 301/VIP/MOS(SJ&E)/2020

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सन्देश

मुझे राष्ट्रीय न्यास के वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के लिए अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने में बेहद खुशी महसूस हो रही है। मेरे विभाग का यह संगठन जिस रास्ते आगे बढ़ रहा है उस रास्ते एक छाप छोड़ रहा है। मैं सभी स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग की प्रशंसा करता हूँ जिन्होने राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के हर कोने को छूने के लिए सहयोग किया।

भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

(कृष्ण पाल गुर्जर)

स्थान : नई दिल्ली

Office : 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001 Tel.: 011-23072192, 23072193, Fax : 011-23072194

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

दिनॉकः 31.07.2020

ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा प्रशंसनीय संदेश राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 में दर्ज हो रहा है। विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रीय न्यास सर्वोत्तम रूप से दिव्यांगजनों को लाभान्वित कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि संगठन भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूएगा।

भविष्य की सफलताओं की शुभमानाएँ के साथ

जय हिन्द!

31/07/2020

(रामदास अठवले)

Room No. : 101, 'C' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23381656, 23381657, Fax : 011-23381669

शकुन्ताला डौले गामलिन, भा.प्र.से.
सचिव
Shakuntala Doley Gamlin, IAS
Secretary
&
Chairperson of National Trust

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सत्यमेव जयते

14 अक्टूबर, 2020

अध्यक्ष की रिपोर्ट

मैं सभी पंजीकृत संगठनों, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के न्यासियों, दिव्यांगजनों के माता–पिता और देश में अन्य हितधारकों का स्वागत करती हूं।

राष्ट्रीय न्यास जिसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगजन और बहुदिव्यांगता वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, को 1999 में पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। यह संगठन विभिन्न आयु समूहों के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे–दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी), विकास (डे केयर स्कीम), समर्थ और घरौंदा (आवासीय योजना) के द्वारा कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यह निरामय – स्वास्थ्य बीमा योजना को भी संचालित कर रहा है जिसमें 2019–20 में लगभग 77,000 लाभार्थी शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, देश के प्रत्येक जिले में, स्थानीय स्तरीय समिति को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए निरंतर अनुवर्ती उपायों और प्रयासों की शुरुआत की गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन एलएलसी की अनिवार्य जिम्मेदारी भी पूरी हो रही है। इस अवधि में, 4636 कानूनी संरक्षकों के सत्यापित मामले राष्ट्रीय न्यास की योजना प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए गए हैं।

राष्ट्रीय न्यास इन श्रेणियों के दिव्यांगजनों के जीवन को दिन–प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस वर्ष मुख्य रूप से इन दिव्यांगजन को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि पंजीकृत संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सत्यापन समिति के पुनर्गठन जैसे मानकों पर सुधार किया जा सके।

इसी दिशा में राष्ट्रीय न्यास द्वारा एक और नई पहल योजना *"संपर्क–इन द आवर ऑफ नीड"* के नाम से शुरू की गई है। यह योजना ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के सुपर साइक्लोन "फानी" प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू की जा रही है।

....2

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003
5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003

Tel. : 011-24369067
Fax : 011-24369055
E-mail : secretaryda-msje@nic.in

Accessible India Campaign

मुझे अभी भी लगता है कि हमें राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने और राष्ट्रीय न्यास के कामकाज और योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए और अधिक व्यापक उपाय और पहल करने की आवश्यकता है, ताकि हम देश के हर कोने में प्रत्येक दिव्यांगजन तक पहुंच बना सकें और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान कर सकें।

मैं उन सभी हितधारकों विशेष रूप से पंजीकृत संगठनों जो राष्ट्रीय न्यास के संरक्षक हैं, दिव्यांगजनों के माता–पिता और स्थानीय स्तरीय समिति जो राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, से दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुरोध करती हूँ।

मैं, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया जी को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए और साथ ही बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।

शकुन्तला डी गामलिन

(शकुन्तला डी. गामलिन)
सचिव
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड

निकुंज किशोर सुंदराय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय न्यास
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

मैं राष्ट्रीय न्यास की वर्ष 2019–20 के लिए बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ जुड़ने का सौभाग्य महसूस करता हूं। मैं राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सभी न्यासियों, राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों का वार्षिक रिपोर्ट में स्वागत करता हूं।

इस वर्ष के दौरान, डे केयर योजनाओं – दिशा, विकास और दिशा–विकास और आवासीय देखभाल योजनाओं – समर्थ, घरौंदा और समर्थ–सह–घरौंदा के तहत पंजीकृत संगठनों के लिए निधि संवितरण जारी रहा। यद्यपि पूरे भारत में लॉक डाउन के कारण, लाभार्थियों की उपस्थिति कम थी, लेकिन परियोजना धारकों को पूर्ण निधि उपलब्ध करायी गयी।

हमारे पास डे केयर योजनाओं के तहत 1896 लाभार्थी हैं और आवासीय देखभाल योजनाओं के तहत 574 लाभार्थी हैं। वर्ष के दौरान निरामय के तहत 77,086 लाभार्थी नामांकित हुए। स्थानीय स्तरीय समितियों ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय न्यास के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 4636 कानूनी संरक्षक नियुक्त किए। जहां तक स्थानीय स्तरीय समितियों का संबंध है, हमें कई जिलों में एलएलसी का पूर्णतः गठन करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में जिलों में पंजीकृत संगठन नहीं हैं। इसलिए, सभी एलएलसी केवल डीसी/डीएम के साथ गठित किए गए थे। हालांकि, इस समस्या से निपटने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों को एल.एल.सी. के गठन के लिए उसी जिले या पड़ोसी जिले से पंजीकृत संगठनों और दिव्यांगजन को अनुशंसा पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। यदि पड़ोसी जिले में भी कोई पंजीकृत संस्था उपलब्ध नहीं है, तो राज्य नोडल एजेंसी केंद्र को स्वयं को एलएलसी सदस्य बनने के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप कई एलएलसी पूरी तरह से गठित हो गयी हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 81 संगठनों को पंजीकृत किया गया तथा पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 676 है।

चूंकि राष्ट्रीय न्यास का कार्य दिव्यांगजन (PwDs) को प्रदान की गई सेवाओं के और संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है, इसलिए, आंतरिक रूप से उत्पन्न आय के अलावा, हमने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक 20 करोड़ रूपये प्राप्त करने में कामयाब रहे जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है और अब तक प्राप्त सबसे अधिक वित्तीय सहायता है जो हमने प्राप्त की है। 2019–20 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए हमारी संचालित डे केयर योजनाओं, आवासीय देखभाल योजनाओं और बीमा योजना पर, हमने 28 करोड़ रूपये खर्च किए। इसमें से स्वास्थ्य बीमा योजना पर पिछले साल किये गये खर्च रू. 8.04 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष 11.53 करोड़ रुपये खर्च किये गए। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) को भी लागू किया गया।

हमने NCERT से सामाजिक विज्ञान विषय में स्कूल स्तर पर सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए विकलांगता पर एक अध्याय शामिल करने का अनुरोध किया जिसमें बचपन से विकलांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता और

संवेदनशीलता पैदा करना, ताकि वे इस मुद्दे को समझ सकें और इन व्यक्तियों की गुणवत्ता और सशक्तिकरण के लिए काम कर सकें। यह दिव्यांगजनों के विभिन्न मुद्दों के बारे में भी समाज व अभिभावकों को जागरूक करेगा।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, को अनुरोध किया गया है कि वे जनगणना 2021 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 के तहत 21 विकलांगताओं को भी शामिल करें साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र जारी हुआ या नहीं, यह भी 2021 की जनगणना के आंकड़ों में दर्ज किया जाए।

राष्ट्रीय न्यास ने बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन की लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 1 अगस्त 2019 को कीस्टोन ह्यूमन सर्विसेज इंटरनेशनल, भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। कीस्टोन ह्यूमन सर्विसेज इंटरनेशनल, इंडिया ने 19 नवंबर से 22 नवंबर 2019 तक दिल्ली में सोशल रोल वैलोराइजेषन (SRV) पर 4 दिनों का कोर्स आयोजित किया और कीस्टोन से अनुरोध किया कि वह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे और राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को प्रशिक्षित करे।

इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के सहयोग से राष्ट्रीय न्यास ने 23 अक्टूबर, 2019 को इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PWIDDs) की कानूनी क्षमता निर्माण** पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य दिव्यांगजनों के माता–पिता की चिंताओं को दूर करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के मुद्दों पर चर्चा करना व इस क्षेत्र में विकास का विश्लेषण करना था। सेमिनार का उद्घाटन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने किया। और इसकी अध्यक्षता दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव और राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्ष श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन ने की। कार्यक्रम का समापन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय न्यास ने पहली बार बौद्धिक दिव्यांगजनों की कानूनी क्षमता बढ़ाने हेतु सुलभ प्रारूप में संकलन प्रकाशित किया है। यह संकलन 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में आयोजित **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PWIDDs) की कानूनी क्षमता निर्माण** पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा प्रस्तुत लेख और कागजात के संग्रह के आधार पर प्रकाशित किया गया है।

हमारे दिव्यांगजन जो प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हैं, को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना **संपर्क–इन द आवर ऑफ नीड** के नाम से बनाई गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य सुपर साइक्लोन फानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस योजना के माध्यम से हमने निरंतर संचार विकसित करने और अपने दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का प्रयास किया ताकि वे हमारी मौजूदा योजनाओं के माध्यम से सामान्य स्थिति में लौट सकें। दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय न्यास एक बहुत अच्छी योजना निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहा है। सम्पर्क योजना के तहत सभी दिव्यांगजनों जो प्रभावित जिलों से संबंधित हैं, के लिए शुल्क माफ किया गया है जिससे अनेक व्यक्तियों को कवर किया गया जो एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ ले सकते हैं।

दिव्यांग अधिकार कानून अधिनियम (RPWD), 2016 के अधिनियमित होने के बाद और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फॉर पर्सन्स ऑफ राइट्स ऑफ डिसएबिलिटीज (यूएनसीआरपीडी) के साथ संरेखित करने और सेक्टर की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए पहली बार अधोहस्ताक्षरी ने एक पहल की है। इस उद्देश्य की पूरा करने के लिए, विभिन्न सशक्तिकरण प्रावधानों पर सुझाव देने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया, जिससे इस अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन हो सके। इन समितियों की बैठक 20–21 नवंबर, 2019 और 5–6 फरवरी, 2020 को हुई।

समिति के गठन के अलावा, निम्नलिखित को शामिल करने का सुझाव दिया:

1) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह क्षेत्र है जिसे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में अपने स्थान की आवश्यकता है जिससे दिव्यांगजन को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है।

2) राष्ट्रीय न्यास के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न संबद्ध संस्थानों के बीच कम समन्वय रहा है, इसलिए दिव्यांगजनों के समग्र प्रशिक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय न्यास बोर्ड में उनका समावेश आवश्यक है।

3) माता–पिता दिव्यांगजनों के लिए महान प्रेरणा हैं, इसलिए उनका सशक्तिकरण और प्रशिक्षण एक आवश्यक घटक है जिसे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संशोधन प्रस्ताव में भी संबोधित किया गया है।

4) राष्ट्रीय न्यास के पास हमेशा विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए शक्तियों की कमी थी, इसलिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में पहली बार दंडात्मक प्रावधानों व इसकी शक्तियों को शामिल किया गया है।

मैं इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. थावरचंद गेहलोत और माननीय राज्यमंत्रियों श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री रतन लाल कटारिया जी और श्री रामदास आठवले जी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, अध्यक्ष, श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन को भी उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर सभी पंजीकृत संगठनों की हृदय से सराहना और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। पंजीकृत संगठन ही हमारे वास्तविक नायक हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय न्यास की ओर से काम कर रहे हैं और सामान्य लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं और दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(निकुंज किशोर सुंदराय)

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के न्यासियों की सूची	11-12
2.	राष्ट्रीय न्यास के नियमित एवं अनुबंधित कर्मचारियों की सूची	13
3.	राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य	14
4.	स्थानीय स्तरीय समिति (एल.एल.सी/LLC)	14-15
5.	कानूनी संरक्षक की नियुक्ति	15
6.	संस्थाओं का पंजीकरण	15-16
7.	राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (SNAC)	16
8.	राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)	16
9.	राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं की विशेषताएँ और विभिन्न परियोजना धारकों को जारी निधि	16
9.1.	दिशा : बाल्य–कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना	16-17
9.2.	विकास (दिन मे देखभाल)	17
9.3.	दिशा–कम–विकास योजना (डे केयर)	17
9.4.	समर्थ (राहतकारी देखभाल)	17
9.5.	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)	18
9.6.	समर्थ–कम–घरौंदा योजना (आवासीय)	18
9.7.	सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)	18
9.8.	ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)	18
9.9.	प्रेरणा (विपणन सहायता)	19
9.10.	संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)	19
9.11.	बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता एवं अभिनव परियोजना)	19
9.12.	निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना	19-20
10.	राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन दिनांक 1 अप्रैल 2018 से	21-23
11.	राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँ, और विभिन्न सम्मेलन व कार्यशालाएँ	23
11.1.	23 अक्टूबर, 2019 को आयोजित बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों हेतु कानूनी क्षमता/क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सेमिनार	23-26
11.2.	बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PwIDDS) की कानूनी क्षमता निर्माण पर एक संग्रह का प्रकाशन	27
11.3.	सामाजिक विज्ञान विशय में स्कूल सिलेबस में विकलांगता पर एक अध्याय का समावेष	27
11.4.	जनगणना 2021 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 के तहत 21 विकलांगताओं के समावेश और विकलांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन	27-28

11.5. नई शिक्षा नीति 2019 पर राष्ट्रीय न्यास की टिप्पणियां 28

11.6. ऑटिज्म से प्रभावित छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए दो दिन का कार्यक्रम 29

11.7. संवेदी तरीकों द्वारा ऑटिज्म का उपचार पर कार्यशाला 29

11.8. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर ध्यान देने के लिये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI) में बच्चों के पुनर–संस्थानीकरण/पुनर्वास और सामाजिक पुनर–एकीकरण पर दिनांक 24/5/2019 को TISS कैम्पस, मुम्बई में आयोजित सम्मेलन 29

11.9. दिनांक 7.6.2019 को उत्तर पूर्वी (NE) राज्यों के पंजीकृत संगठनों की समीक्षा बैठक 29

11.10. मदुरै, तमिलनाडु में दिनांक 6 जून और 7 जून 2019 को आयोजित सरकारी अधिकारियों एवं पंजीकृत संगठनों के लिए दोहरा संवेदीकरण कार्यक्रम 30

11.11. दिनांक 1 जुलाई, 2019 को लखनऊ, यू.पी. में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक 30

11.12. दिनांक 21.08.2019 को मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) की बैठक 31

11.13. दिनांक 30 और 31 अगस्त, 2019 को त्रिपुरा में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के संवेदीकरण के लिए बैठक और कानूनी संरक्षकता मुद्दे पर कार्यशाला 31-32

11.14. उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दिनांक 9 सितंबर 2019 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास की योजना समीक्षा बैठक (SRC) 32

11.15. राष्ट्रीय न्यास की 19 वीं वार्षिक आम बैठक 32-34

11.16. दिनांक 12 सितंबर, 2019 को आयोजित राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी) की परामर्ष बैठक 35

11.17. दिनांक 22/10/2019 को आयोजित स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) पर राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की समीक्षा बैठक 35-36

11.18. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में संशोधन 36-39

11.19. "सोशल रोल वोलराइजेशन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रस्तुति 39

11.20. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेश पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुति 39

11.21. दिनांक 16 से 19 दिसंबर 2019 को मान्यता समिति की चौथी बैठक 39-40

11.22. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में "संपर्क – इन द आवर ऑफ नीड" योजना का कार्यान्वयन 40-41

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 41

13. वार्षिक लेखा 2019–20 42-66

1. राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के न्यासियों की सूची

क्र0 सं0	नाम	पता	संपर्क
1	श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड 16 बी, बड़ा बाज़ार रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली	secretaryda-msje@nic.in 011-24369055
2	श्री निकुंज किशोर सुंदराय	संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 16 बी, बड़ा बाज़ार रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली	js_ceo_nt@thenationaltrust.in 011-43187801
3	श्री संजय पाण्डेय	एफ.ए., सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर – 609–ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001	s_pandey@gov.in 011-23387924
4	श्री किशोर बी.सुर्वाडे	डिप्टी डायरेक्टर जनरल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	ddg-depwd@gov.in 011-24364394
5	सुश्री लमचोंगहोई स्वीटी चांगसन	संयुक्त सचिव (समग्र शिक्षा–I), , शिक्षा मंत्रालय 107 ए–डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	lschangsan@nic.in 011-23383226 / 23070584(O)
6	डॉ. एन. श्रीनिवास राव	आर्थिक सलाहकार (एन.एस.ए.पी. एवं आई.टी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	Srinivas.rn@nic.in 011-23386411
7	श्री शिवदास मीणा	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद मार्ग, नई दिल्ली – 110108	mshivdas@ias.nic.in 011-23062477
8	सुश्री विभा भल्ला	संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कमरा नंबर106, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग। नई दिल्ली –110001	v.bhalla@nicin 011-23710239
9	श्रीमती आस्था सक्सेना खटवानी	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	aastha.khatwani@nic.in 011-23388576
10	डॉ. अजय खेरा	आयुक्त (एमसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	ajaykheramch@gmail.com 011-23061281

11	सुश्री उमा सेठ	अतिरिक्त निदेशक (टीम लीड –फिक्की सीएसआर), फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली – 110001	uma.seth@ficci.com 011-23357243 9899324304
12	श्री जिग्नेष जोशी,	प्रतिनिधि–एसोचेम,सी.ई.ओ., जेएमपीसी बिल्डलाइन प्रा. लि., 904–905, प्रेसीडेंट हाउस, सीएन स्कूल के सामने, अंबाबाड़ी, अहमदाबाद –380015	jignesh.joshi@jmpcbuiltline.com 079-26422432 9898989444
13	श्री गोपाल सिंगाराजू (नवंबर 2018)	सदस्य, कॉन्फडेरशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नेशनल कमेटी ऑन स्पेशल एबिलिटीज एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड, 2–बी, ब्लॉक–बी, रेन ट्री अपार्टमेंट, नंबर 2 वीनस कॉलोनी, लिंड स्ट्रीट क्रॉस, अलवरपेट–600018,चेन्नई	gopal.singaraju@rbs.com 9840790120
14	श्री अभय कुमार दुबे	131, इंद्रपुरी कॉलोनी ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008, मध्य प्रदेश	abhaydubeyjbp@gmail.com 9425150672
15	सुश्री रूबी सिंह	c/o कर्नल पीके सिंह, # 5/4, वनरपेट ऑफिसर्स कॉलोनी, ओल्ड रेस कोर्स रोड, ऑस्टिन टाउन, बैंगलोर – 560047	alfaa2010@gmail.com; rubysingh.pms@gmail.com 9741418103
16	डॉ. सपम जसोवंता सिंह	57, सागोरलबंद तेरा पुखरी मेपल लंफल पश्चिम, इंफाल – 795001, पश्चिम मणिपुर	hdfoundationmanipur@gmail.com; sapamjasowanta2399@gmail.com 9612157246
17	श्रीमती पूजा सुरेशभाई वाघासिया	शिवसृष्टि – २, पेडक रोड, भिंड राजन, भारतीय स्कूल, राजकोट–360003	patelridhi007@gmail.com 8128138092
18	श्री गुरिकबाल सिंह बेदी	5, हरगोविंद नगर सरहिंग रोड, पटियाला – 147004, पंजाब	membernationaltrust@gmail.com; presidentautismindiatoday@gmail.com 9356767367 / 9417686400
19	डॉ. आशीष कुमार	S/O जनादेव सिंह, ब्लॉक बी स्वस्तिक एन्क्लेव, फ्लैट नंबर 2 ए,. बक्सी बाजार, कटक सदन, ओडिसा–753001	ashish_ashtha@rediffmail.com 9338128085
20	श्री पुष्प पाल सिंह	सी –47 राजेन्द्र नगर बरेली, इज्जत नगर, यूपी	designviews540554@gmail.com; designviews540554@yahoo.com 9568181368 / 9412288074

2. राष्ट्रीय न्यास के नियमित एवं अनुबंधित कर्मचारियों की सूची

सं	नाम	पदनाम
1.	श्री यू.के. शुक्ल	कार्यक्रम निदेशक
2.	श्री नवनीत कुमार	उपनिदेशक
3.	श्री एस. के. ठुकराल	निजी सचिव
4.	श्रीमती सुषमा घई	निजी सचिव
5.	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	निजी सहायक
6.	श्री अमिताभ त्रिवेदी	लेखाकार
7.	श्रीमती मोनिका वाधवा	सहायक
8.	श्रीमती वंदना चोपड़ा	कार्यक्रम सहायक
9.	श्री बी.एस. नेगी	यू.डी.सी.
10.	श्री रामबिलास राजभर	एम.टी.एस.
11.	श्रीमती रेखा ममगाईं	एम.टी.एस.
12.	श्री राम आशीष गौड़	एम.टी.एस.

अनुबंधित कर्मचारी

सं	नाम	पदनाम
1.	श्री जसविंदर पाल सिंह खेरा	लेखा सहायक
2.	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	तकनीकी सहायक (आईटी)
3.	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक
4.	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक
5.	श्रीमती अनीता रानी	कार्यालय सहायक
6.	श्री गुड्डू	सफाई कर्मचारी

3. राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संसद के एक अधिनियम, 1999 द्वारा बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्यास के निम्नलिखित उदेश्य हैं:–

1. दिव्यांगजन को समर्थ और सशक्त बनाना, जिससे कि वे पूर्ण रूप से समाज से जुड़कर यथा संभव स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं;
2. दिव्यांगजन को अपने परिवार के बीच रहने के लिए व उनकी मूलभूत सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करना
3. पंजीकृत संगठनो को सहायता प्रदान करना जिससे वे दिव्यांगजन के परिवार को पारिवारिक संकट अवधि के दौरान आवश्यक आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करा सकें;
4. दिव्यांगजन की समस्याओं का निपटारा करना जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलता;
5. दिव्यांगजन के संरक्षको या माता पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख–रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
6. दिव्यांगजन जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए कानूनी संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
7. दिव्यांगजन की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और सुरक्षा अधिकार प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना; और
8. अन्य कार्य, जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशंगिक हों।

राष्ट्रीय न्यास मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए काम करता हैं – कानूनी सहायता व कल्याणकारी योजनाओं का संचालन। स्थानीय स्तरीय समितियों के माध्यम से कानूनी सरंक्षकता प्रदान की जाती हैं, जबकि योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय न्यास के अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आश्रय व देखभाल एवं सशक्तिकरण करना शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन के समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं उनको पूर्ण भागीदारी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

4. स्थानीय स्तरीय समिति (एल.एल.सी/LLC)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत प्रत्येक जिले में एक स्थानीय स्तरीय समिति तीन साल की अवधि के लिए या जब तक यह राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड द्वारा पुनर्गठित की जाए, निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाती है: –

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला के जिला आयुक्त से नीचे के पद का नहीं होगा;
- किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- एक दिव्यांगजन सदस्य जो विकलांगता अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड 2 की धारा (क) में परिभाषित हो।

स्थानीय स्तरीय समिति का मुख्य कार्य कानूनी संरक्षक के आवेदन को जाँचना, नियुक्ति करना, निगरानी करना और हटाना है। स्थानीय स्तरीय समिति जागरूकता फैलाना, दिव्यांगजन का समावेष करना और उन्हे मुख्य धारा से जोड़ना जैसे गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

स्थानीय स्तरीय समितियों को और जवाबदेह बनाने के लिए, इन समितियों के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारी/जिला दंडाधिकारी को ऑनलाइन कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लॉग इन आई.डी. और पासवर्ड भेज दिये गए हैं। स्थानीय स्तरीय समिति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संगठनों एवं दिव्यांगजन को उपयुक्त फॉर्म, एवं जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, राष्ट्रीय न्यास को ऑनलाइन जमा करवाना है। राष्ट्रीय न्यास के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद स्थानीय समिति के गठन और पुनर्गठन आदेश को डाउनलोड किया जा सकता है।

*** अब तक, 688 स्थानीय स्तरीय समिति का गठन देश के सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर क्योंकि नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया जारी है) में जिलाधिकारी/जिलाधीश की अध्यक्षता में किया गया है।**

5. कानूनी संरक्षक की नियुक्ति

(क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17, स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के लिए कानूनी संरक्षण को दर्शाती है। कानूनी संरक्षकता का प्रावधान आवश्यकता के आधार पर है।

(ख) एक संरक्षक वह व्यक्ति है जो किसी दिव्यांगजन व उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति उस दिव्यांगजन की ओर से सभी कानूनी फैसले लेने में सक्षम है जिसके लिए उसको कानूनी अभिभावक बनाया गया है।

(ग) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांग दिव्यांगजन एक ऐसी विशेष स्थिति में होते हैं जिसमे वे 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी अपने दैनिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने में तथा स्वयं के सुधार के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। अतः उन्हें जीवनभर एक कानूनी अभिभावक की आवश्यकता होती है जो उनकी रुचि के आधार पर उनके फैसले का प्रतिनिधित्व कर सके। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहुविकलांग दिव्यांगजन के मामलों में उन्हें कानूनी अभिभावक की आवश्यकता सीमित हो सकती है क्योंकि वर्तमान उपलब्ध तकनीकी और/या वैज्ञानिक सुविधा उन्हें स्वयं के फैसले हेतु सक्षम बनाती है तथा कानूनी अभिभावक की आवश्यकता को कम कर सकती है तथा दिव्यांगजनों को जीवन के अनेक उतार–चढ़ाव में स्वतन्त्रता के साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

(घ) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन हेतु अभिभावकों की नियुक्ति करने के लिए नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी के तहत प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनकी रुचियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए भी एक ढांचा प्रदान करता है।

(ड़) वर्ष 2019–2020 में, 4636* कानूनी संरक्षक के आवेदन स्वीकृत और सत्यापित हैं।

***अस्वीकरण – उपरोक्त आंकड़ा योजना प्रबंधन प्रणाली की तारीख के अनुसार है। यह स्थानीय स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार बदल सकता है।**

6. संस्थाओं का पंजीकरण

(क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या अभिभावक संघ या दिव्यांग व्यक्तियों के संस्थान, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की 21 धारा), या धारा 25 के तहत पंजीकृत कंम्पनियां या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और संबंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत

पंजीकृत हों, ऑनलाइन फार्म के साथ प्रपत्र 'ई' को भरकर संगठन के अध्यक्ष/महासचिव का स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवष्यक होगा।

(ख) राष्ट्रीय न्यास ने दिनांक 24.11.2015 को 10 नई/संषोधित योजनाओं एवं बेवसाइट का शुभारम्भ किया। पंजीकरण के आवेदन एवं अनुमोदन या अस्वीकार करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पंजीकरण शुल्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेज संलग्न होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल ऑनलाइन है, अपितु पारदर्शी भी है। प्रत्येक आवेदक स्वचालित रूप से आवेदन की स्थिति ईमेल अलर्ट द्वारा प्राप्त करता है। संगठनों का पंजीकरण वर्षभर किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 81 संगठनों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया और पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 676 है। पंजीकृत संगठनों की राज्यवार और जिलेवार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7. राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (SNAC)

राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं राज्य सरकारों के साथ समन्वय/संपर्क स्थापित करने के लिए हर राज्य में एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों जैसे पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी), राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) की बैठकें, प्रलेखन/रिपोर्टिंग, समन्वयक के लिए मानदेय एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए धन प्रदान करता है। वर्तमान में देश में 28 राज्य नोडल एजेंसी केंद्र हैं।

इस वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों को कुल 67.37 लाख रुपये की राशि जारी की गयी।

8. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) गठित करने के लिए अनुरोध किया गया है। हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, जो दिव्यांगजन से संबन्धित कार्य को देखते हैं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है एवं संबंधित प्रदेश के राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) को समिति का संयोजक बनाया गया है। अब तक, 29 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।

9. राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं की विषेशताएँ और विभिन्न परियोजना धारकों को जारी निधि

9.1. दिशा : बाल्य–कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित चार प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 0 से 10 वर्ष तक की आयु समूह वाले बच्चों के लिए बाल्य – कालिक और स्कूल तैयारी की योजना है। इस योजना का लक्ष्य दिशा केंद्र स्थापित करना है और दिव्यांगजन के बाल्य काल में ही चिकित्सा, प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के जरिये शीघ्र हस्तक्षेप करना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा दिन में कम से कम 4 घंटे (प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) दिव्यांगजन की देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें आयु–विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं। दिशा केंद्र में दिव्यांगजन के लिए विशेष शिक्षकों अथवा बाल्यकालिक हस्तक्षेप थेरापिस्ट, फिजिओथेरेपिस्ट अथवा ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट और काउन्सलर तथा देखभालकर्ता और आया की व्यवस्था होती है। ताकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित बच्चों और माता पिता दोनों को प्रशिक्षण (विशेषकर स्कूल हेतू तैयारी) तथा परामर्श दिया जा सके। केंद्र में देखभालकर्ता एवं आया के साथ–साथ दिव्यांगजन के लिए एक विशेष शिक्षक या प्रारंभिक

हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक और परामर्शदाता होता है। संशोधित प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के स्थान पर 0 से 10 वर्ष आयु वर्ग को कवर करने के प्रावधान होंगे, जैसा कि पहले की योजना में विचार किया गया था।

देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 115 केंद्रों में 3097 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 2019–2020 में, 29 दिशा केंद्रों के माध्यम से 480 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत अब तक 990.79 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें 2019–2020 के दौरान जारी 123.76 लाख रूपये शामिल है।

9.2. विकास (दिन मे देखभाल)

यह दिन में देख–भाल की योजना है जिसका उद्देश्य, उन दिव्यांगजन जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक हैं जो बढ़ती हुई उम्र में हैं, के लिए अवसरों का विस्तार करना है ताकि उसके अंतर–वैयक्तिक एवं रोजगारपरक कौशल में वृद्धि हो सके। जितने समय दिव्यांग विकास केन्द्र में रहता है, उतने समय केन्द्र उस व्यक्ति की देख–भाल की सुविधा प्रदान कर्त्ता है। साथ ही, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सहायता करने में भी उनको मदद करता है, ताकि दिन में उन्हें अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ समय मिल सके। पंजीकृत संस्था द्वारा दिव्यांगजन को दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 से अपराह्न 6 बजे के बीच) देख–भाल की सुविधा प्रदान करनी होती है, जिसमें आयु–विशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं विकास केंद्र महीने में कम से कम 21 दिन खुलता है।

देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 124 केंद्रों में 4875 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 2019–2020 में 33 विकास केंद्रों के माध्यम से 518 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत अब तक 1639.80 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें 2019–2020 के दौरान जारी 199.82 लाख रूपये शामिल है।

9.3. दिशा–कम–विकास योजना (डे केयर)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1–4–2018 से विलय दिशा–कम–विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गयी।

देश में पिछले 2 वर्षों के दौरान 39 दिशा–कम–विकास केन्द्रों द्वारा 1978 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया हैं। इसमें 2019–20 के दौरान 989 लाभार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत, अब तक 716.48 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसमें 2019–2020 के दौरान जारी 421.12 लाख रुपये शामिल है।

9.4. समर्थ (राहतकारी देखभाल)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों अथवा संकटग्रस्त परिवारों और बी.पी.एल तथा एल.आई.जी परिवारों से आने वाले दिव्यांगजन को और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत शामिल चार विकलांगताओं में से कम से कम एक विकलांगता के अंतर्गत आते हों। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन के परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे अवसर पैदा करना है कि वे अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहतकारी समय पा सकें। इस योजना का उद्देश्य ऐसा समर्थ केन्द्र की स्थापना करना है जहाँ सभी आयु समूह के लिए सामूहिक गृह सेवा मिल सके, और जिसमें देखभाल की पर्याप्त एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन–स्तर की सुविधाओं के साथ–साथ पेशेवर चिकित्सक द्वारा बुनियादी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो।

देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 45 समर्थ केंद्रों के 1461 लाभार्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी दी गई है। 2019–20 में, 8 समर्थ केंद्रों के माध्यम से 111 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत अब तक 785.80 लाख रूपये जारी किए गए हैं। इसमें 2019–2020 के दौरान जारी 78.05 लाख रूपये शामिल हैं।

9.5. घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु–विकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन को जीवन भर के लिए न्यूनतम आधारभूत गुणवत्ता एवं देखभाल सेवाओं के साथ आवासीय सुविधा प्रदान करना है। घरौंदा केंद्र में रोजगारपरक गतिविधियों, रोज़गार–पूर्व तथा आगे के प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। यह योजना पूरे देश में निश्चित तौर पर देखभाल प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है जो दिव्यांगजन को स्थायी तौर पर स्वतन्त्रता और गरिमा के साथ रहने को प्रोत्साहित करती है।

देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 50 घरौंदा केंद्रों को मंजूरी दी गई जिनसे 1000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 2019–20 में, 19 घरौंदा केंद्रों के माध्यम से 285 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत, अब तक 1122.71 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें 2019–2020 के दौरान जारी 136.75 लाख रूपये शामिल हैं।

9.6. समर्थ–कम–घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1–4–2018 से विलय समर्थ–कम–घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गयी।

देश में पिछले 2 वर्षों के दौरान 12 समर्थ–कम–घरौंदा केंद्र द्वारा 179 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 201.45 लाख रूपये जारी किया जा चुका है। इसमें 2019–2020 के दौरान जारी 130.55 लाख रुपये शामिल है।

9.7. सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन और उनके जरुरतमंद परिवारों को पर्याप्त और पोषण युक्त देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण तथा केयर एसोसिएटस को प्रशिक्षित करने के लिए केयर एसोसिएट प्रकोष्ठों की स्थापना करना है। इसके अलावा, अगर दिव्यांगजन के माता–पिता भी केयर एसोसिएट बनने में रुचि रखते है तो, उन्हें प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। यह योजना प्राथमिक और उन्नत दोनों स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजन के परिवारों और अन्य संस्थानों के दिव्यांगजन की आवश्यकताओं की पूर्ति (एनजीओ, कार्यशाला आदि) के लिए केयर एसोसिएटस के प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करती है।

सहयोगी योजना के तहत 56 केयर गिवर्स प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान 1762 केयर गिवर्स प्रशिक्षित किए गये हैं। इस योजना के तहत अब तक 179.81 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं।

9.8. ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)

ज्ञान प्रभा योजना को वर्ष 2015–16 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता व बहु–विकलांग दिव्यांगजन को शैक्षिक पाठ्यक्रम जैसे स्नातक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार या स्व–रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना था।

दिनांक 27–12–2017 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास की 76 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार, इस वर्ष के दौरान कोई नया नामांकन नहीं किया गया। दो मौजूदा लाभार्थियों को उनके चल रहे पाठ्यक्रम के लिए रु, 1,05,160.00 की राशि जारी की गई। इन लाभार्थियों को योजना के बंद होने से पहले नामांकित किया गया था।

9.9. प्रेरणा (विपणन सहायता)

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए उत्पादों व सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य एवं व्यापक माध्यमों का विकास करना है। इस योजना का लक्ष्य दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनियों, मेलों, आदि में भाग लेने के लिए पंजीकृत संगठनों को धन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के आधार पर पंजीकृत संस्था को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए मेलों, प्रदर्शनियों आदि में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर के कार्यक्रमों में पंजीकृत संगठनों की भागीदारी के लिए निधि उपलब्ध कराता है। किन्तु इन कार्य – केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी दिव्यांगजन होने चाहिए जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांग हों । यह एक नई योजना है।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

9.10. संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)

इस योजना का लक्ष्य भारत के ऐसे प्रत्येक नगर में एक संभव केंद्र की स्थापना करना है जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक हो । इन केन्द्रों में सहायक सामग्री व सहायता–उपकरणों, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सामग्री को समन्वित और संकलित किया जाता है। और उनको प्रदर्शित करने और चलाकर दिखाने का प्रावधान होता है। राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर इन संभव केन्द्रों में उपलब्ध सहायक सामग्री व सहायता–उपकरणों से संबंधित सूचना रखने का प्रावधान भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांगजन की बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए सहायक उपकरणों, साधनों, सॉफ्टवेयर आदि के बारे में सूचना प्रदान करना और उन तक पहुँच को सुगम बनाना है।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

9.11. बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता एवं अभिनव परियोजना)

इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं को ऐसी गतिविधियाँ संचालित करने में सहायता करना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में विहित विकलांगताओं के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। बढ़ते कदम का लक्ष्य दिव्यांगजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, उनमें चेतना लाना, दिव्यांगजन को समाज में एकीकृत करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। राष्ट्रीय न्यास प्रत्येक पंजीकृत संस्था के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 4 कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रत्येक पंजीकृत संस्था को हर वर्ष (समुदाय, शैक्षिक संस्थानों अथवा चिकित्सा संस्थानों के लिए) कम से कम 1 कार्यक्रम अवश्य आयोजित करना चाहिए। बढ़ते कदम पहले राष्ट्रीय न्यास की एक गतिविधि थी जो अब एक योजना में परिवर्तित कर दी गई है।

इस योजना के तहत देश में, पिछले 5 वर्षों के दौरान 126 पंजीकृत संगठनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक 84.22 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

9.12. निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। नामांकित लाभार्थियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मामूली शुल्क चुकाकर 1 लाख रुपये तक की राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है:

शुल्क सारिणी : निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 से लागू, नामांकन और नवीकरण के लिए पूर्ण शुल्क चार्ट निम्नानुसार है: –

नामांकन सारणी –

दिव्यांगजन की श्रेणी	नामांकन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
बी.पी.एल	250 रुपये	50 रुपये
नॉन – बी.पी.एल	500 रुपये	250 रुपये
दिव्यांगजन जिसका कानूनी संरक्षक हो (माता–पिता के अतिरिक्त)	मुफ्त	मुफ्त

जिन शीर्षकों (लाभ चार्ट) के तहत लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार है:

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना– संशोधित लाभ तालिका

केवल प्रतिपूर्ति आधार पर (अप्रैल 2015 से)

खंड	उप–खंड	विवरण	उप–सीमा	खंड की समग्र सीमा
I	**अस्पताल में भर्ती होने संबंधी समग्र सीमा**		**70,000/-**	
	क	वर्तमान और जन्मजात विकलांगता सुधार हेतु शल्य–क्रिया	40,000/-	
	ख	गैर–शल्य क्रिया/अस्पताल में भर्ती होना	15,000/-	
	ग	विकलांगता को और बढ़ने से रोकने के लिए शल्य–क्रिया	15,000/-	
II	**बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) के लिए समग्र सीमा**			**14,500/-**
	क	ओपीडी इलाज, जिसमे दवाएं, रोगों की जांच, निदान संबंधी परीक्षण आदि	8,000/-	
	ख	स्वस्थ दिव्यांगजन की नियमित चिकित्सा जांच	4,000/-	
	ग	चिकित्सीय निवारक दंत चिकित्सा	2,500/-	
III	विकलांगता और उससे संबंधी जटिलताओं के कुप्रभाव को कम करने के लिए अनवरत चिकित्सा			**10,000/-**
IV	वैकल्पिक चिकित्सा			**4,500/-**
V	परिवहन व्यय			**1,000/-**

प्रति व्यक्ति कवरेज की समग्र सीमाः रुपये: 1,00,000/-

वर्ष 2019–20 के दौरान, 77086 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। कुल 19086 दावों का निपटारा किया गया है। वर्ष के दौरान कुल व्यय 11.53 करोड़ रुपये है। वर्तमान में, योजना अप्रैल, 2015 से मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू की जा रही है।

10. राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन दिनांक 1 अप्रैल 2018 से

20 मार्च 2018 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की 77 वीं बैठक में अनुमोदित, राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत दिनांक 1 अप्रैल 2018 से हो चुकी है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कई योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में, दो योजनाएं अर्थात दिशा और विकास को जोड़कर एक योजना दिशा–कम–विकास में विलय किया गया है। इसी तरह, समर्थ और घरौंदा को भी जोड़कर एक ही योजना में समर्थ–कम–घरौंदा में विलय कर दिया गया है। किसी भी मामले में, एक पंजीकृत संगठन (आरओ) को एक से अधिक योजना मंजूर नहीं की जाती है।

(ख) इन योजनाओं की संरचना का विवरण निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	मौजूदा योजना	मौजूदा संरचना		मौजूदा संशोधित संरचना	संशोधित संरचना		
		मासिक लागत (रुपये)	मासिक आवर्ती निधि यात्रा भत्ता सहित(रुपये)		सेट अप (रुपये)	मासिक आवर्ती राशि (रुपये)	आवश्यक कर्मचारी
1	दिशा (बाल्यकालिक हस्तक्षेप एव स्कूल तैयारी योजना)	1.55 लाख	5,500/-	**दिशा–कम–विकास योजना**	**1.55 लाख**	**3500/– (3000/– + वाहन / 500/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 बीपीएल दिशानिर्देशो के अनुसार अनुपात की स्थिति वही रहेगी।**	(1) प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक / ओटी / पीटी: कोई भी दो (2) विशेष शिक्षक/ वोकेशनल ट्रेनर: कोई एक (3) परामर्शदाता: सप्ताह में 3 बार (4) देखभालकर्ता: 02 (5) आया: 02
2	विकास (दिन में देखभाल –10 वर्ष से अधिक)	1.95 लाख	4,800/-	**(बैच संख्या – 40)**			
3	समर्थ (आवासीय देखभाल योजना)	2.90 लाख	7,850/-	**समर्थ–कम–घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना (बैच साइज 30**	**1.90 लाख**	**20 पात्र बीपीएल लाभार्थियों के लिए अधिकतम रू 5000/**	(1) ओटी: 01 (2) पीटी: 01 (3) विशेष शिक्षक/ वोकेशनल ट्रेनर: कोई एक (4) देखभालकर्ता: 03 (5) आया: 02 (6) रसोइया: 01
4	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह)	2.90 लाख	10,000/-				
5	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)				**पूर्व रूप में**		

6	सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रशिक्षु लागतः - प्राइमरी - एडवांस 2) प्रशिक्षु वेतन - प्राइमरी - एडवांस	4200/– 8000/– 5000/– 1000/–	**50,000/-**	**1) प्रशिक्षु लागतः प्राइमरी– 2000/– एडवांस– 3000/– 2) प्रशिक्षु वेतन– प्राइमरी – 3000/– एडवांस– 5000/–**
8	ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक सहायता)			यह योजना बंद की जा चुकी है क्योंकि समान योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामा. न्याय व अधि. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।		
8	प्रेरणा (विपणन सहायता)			योजना संशोधित की जा रही है		
9	संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)			योजना संशोधित की जा जा रही है		
10	बदते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और अभिनव परियोजना)			प्रत्येक पंजीकृत संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक कार्यक्रम		

(ग) राष्ट्रीय न्यास बोर्ड या विशेष रूप से गठित उप–समिति के निर्णय आने तक किसी भी पंजीकृत संस्था को किसी भी योजना के तहत कोई नई मंजूरी नहीं दी जाएगी। हालांकि, यह उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्व संचालित घरौंदा योजना के लिए लागू नहीं होगा। बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, संशोधित घरौंदा योजना को पुराने घरौंदा योजना में समायोजित किया जाना है।

(घ) कोई भी पंजीकृत संस्था को केवल एक प्रकार की योजना लागू करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे डे केयर (दिशा–कम–विकास योजना) या आवासीय देखभाल (समर्थ–कम–घरौंदा)। यह मौजूदा योजना धारकों के लिए भी लागू होगा।

(ड़) वित्तीय वर्ष 2018–19 से, मौजूदा योजना धारकों के लिए, चार केंद्र आधारित योजनाओं जैसे–दिशा, विकास, घरौंदा और समर्थ से एकल योजनाओं को लागू करने के लिए निधि वितरण निम्नानुसार होगाः

क) दिशा एवं विकास योजनाओं के तहत मासिक आवर्ती निधि प्रति व्यक्ति प्रति लाभार्थी रुपये 3000/–+रुपये 500/– (यात्रा व्यय) रहेगी तथा समर्थ एवं घरौंदा योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी, प्रति माह रुपये 5000/ – रहेगी।

ख) लाभार्थियों की संख्या योजना दिशानिर्देशों के अनुसार समान रहेगी जैसे – दिशा–20, विकास–30, घरौंदा–20 एवं समर्थ–30

ग) राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त पोषित बीपीएल लाभार्थी की अधिकतम संख्या दिशा एवं विकास योजना हेतु 20 बीपीएल तथा समर्थ एवं घरौंदा योजना हेतु 15 बीपीएल लाभार्थियों तक ही सीमित होगी।

घ) किसी भी मामले में, पंजीकृत संस्था को एक समय में एक से अधिक योजना मंजूर नहीं की जाएगी।

ड़) यह राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

(च) दिनांक 27.12.2017 को आयोजित 76 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने ज्ञान प्रभा छात्रवृत्ति योजना को बंद करने के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्णय पर सहमति व्यक्त की थी । किसी भी नए नामांकन की अनुमति नहीं होगी। मौजूदा लाभार्थी जो छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपने चल रहे पाठ्यक्रम के पूरा

होने तक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी ट्यूशन फीस और अन्य लाभों की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

11. राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँ, और विभिन्न सम्मेलन व कार्यशालाएँ

11.1. 23 अक्टूबर, 2019 को आयोजित बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों हेतु कानूनी क्षमता/क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सेमिनार

इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के सहयोग से राष्ट्रीय न्यास ने 23 अक्टूबर, 2019 को इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PWIDDs) की कानूनी क्षमता निर्माण** पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य दिव्यांगजनों के माता–पिता की चिंताओं को दूर करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के मुद्दों पर चर्चा करना व इस क्षेत्र में विकास का विश्लेषण करना था। सेमिनार का उद्घाटन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने किया। और इसकी अध्यक्षता दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव और राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्ष श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन ने की। कार्यक्रम का समापन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय न्यास ने पहली बार बौद्धिक दिव्यांगजनों की कानूनी क्षमता बढ़ाने हेतु सुलभ प्रारूप में संकलन प्रकाशित किया है। यह संकलन 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में आयोजित **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PWIDDs) की कानूनी क्षमता निर्माण** पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा प्रस्तुत लेख और कागजात के संग्रह के आधार पर प्रकाषित किया गया है।

निम्नलिखित कार्यवाही योग्य बिन्दु गणमान्य वक्ताओं द्वारा सेमिनार दिएः –

क) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय न्यास में राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर बोर्ड होने के लिए।

ख) प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों के साथ–साथ चिकित्सा और पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा मिलकर कार्य करना।

ग) अधिनियम को लागू करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुरक्षा कर्मियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम, मानक संचालन प्रोटोकॉल के निर्माण और ऐसी प्रौद्योगिकी के मानकीकरण की आवश्यकता है जो सुलभ हो सकें।

राष्ट्रीय सेमिनार के डायस पर मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास के साथ अन्य गणमान्य अतिथि

राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते गणमान्य व्यक्ति

माननीय न्यायमूर्ति, के.जी. बालाकृष्णन,
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

सुश्री शकुन्ताला डी. गामलिन,
सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास

श्री निकुंज किशोर सुंदराय,
संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास

दिवंगत श्री प्रसन्न कुमार पिंचा,
पूर्व मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन,
भारत सरकार

डा. अलोका गुहा,
पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास

डा. संजय कांत प्रसाद, उप मुख्य आयुक्त,
दिव्यांगजन, भारत सरकार

डा. निमेष देसाई,
निदेशक, मानव व्यवहार और संबद्ध
विज्ञान संस्थान (IHBAS), नई दिल्ली

प्रो. शेफाली गुलाटी,
चीफ, चाइल्ड न्यूरोलोजी डिवीजन,
एम्स, दिल्ली

डा. शिवाजी कुमार,
राज्य दिव्यांगजन आयुक्त,
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार,
पटना

कमांडर एस. एन. बिजुर, अध्यक्ष, PARIVAAR

प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान

डा. हिमांशु दास, निदेशक, NIEPMD

डा. एसपी दास, निदेशक, SVNIRTAR

डा. गौरव गुप्ता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

डा. मीनाक्षी बत्रा, (PDUNIPH), नई दिल्ली

सुश्री साक्षी सिनसिनवार

राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल विशिष्ट अतिथि

समापन सत्र– बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों हेतु कानूनी क्षमता/क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सेमिनार

माननीय डा. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, भारत के पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, ने सेमिनार के समापन सत्र में उपस्थित रहकर शोभा बढ़ाई। न्यायमूर्ति पसायत ने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों पर जोर देते हुए एवं संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि दिव्यांगजन को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। वह उपस्थित हर एक व्यक्ति को महसूस कराना चाहते थे कि वे कुछ करके अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं यदि उनकी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए उन्हें मौका दिया जाए।

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, पूर्व न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधन

श्री एस.सी. प्रस्टी, रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान

डॉ. आलोक भुवन, मनोविकास संस्थान, दिल्ली मंच संचालन करते हुए

श्री यू. के. शुक्ल, कार्यक्रम निदेशक माननीय डॉ. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हुए

सेमिनार के समापन के उपरांत उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण

11.2. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PwIDDS) की कानूनी क्षमता निर्माण पर एक संग्रह का प्रकाशन

राष्ट्रीय न्यास ने पहली बार बौद्धिक दिव्यांगजनों की कानूनी क्षमता बढ़ाने हेतु सुलभ प्रारूप में संकलन प्रकाशित किया है। यह संकलन 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में आयोजित **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PWIDDs) की कानूनी क्षमता निर्माण** पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों और पेषेवरों द्वारा प्रस्तुत लेख और कागजात के संग्रह के आधार पर प्रकाशित किया गया है। यह संकलन राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (www.thenationaltrust.gov.in) पर उपलब्ध है।

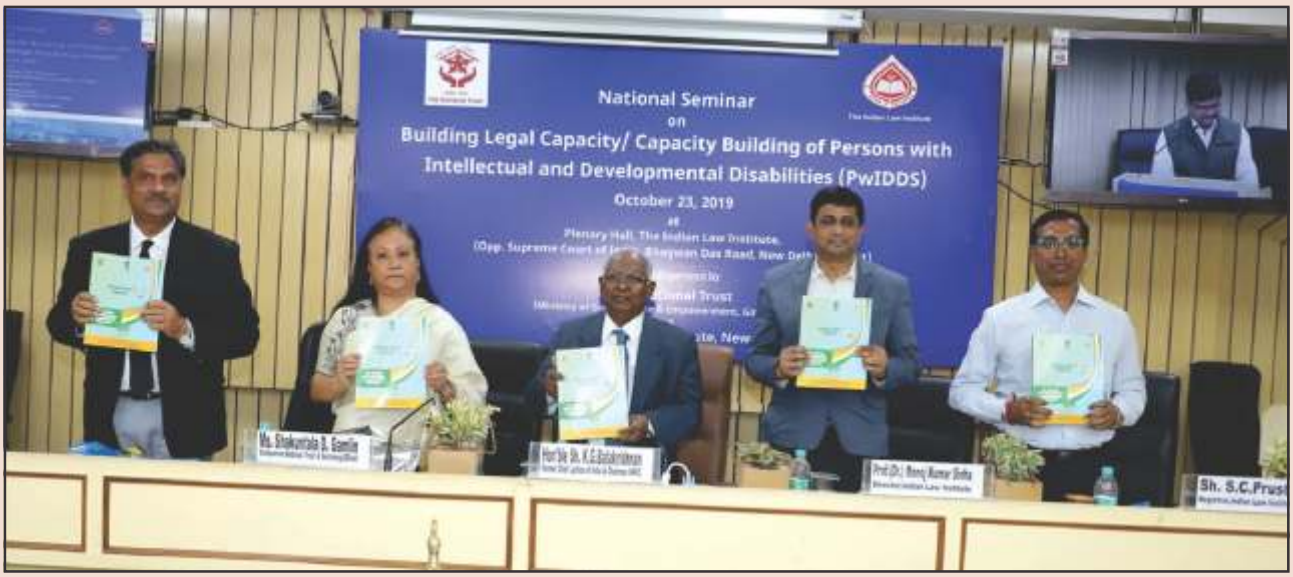

प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सुलभ प्रारूप में **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन (PWIDDs) की कानूनी क्षमता निर्माण** पर प्रकाशित संग्रह का विमोचन

11.3. सामाजिक विज्ञान विषय में स्कूल सिलेबस में विकलांगता पर एक अध्याय का समावेश

समावेशी शिक्षा पद्धति के लिए सीखने का ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें हमारे समाज के प्रत्येक बच्चे को अपने साथियों के साथ उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय न्यास ने कक्षा सातवीं और आठवीं के सामाजिक विज्ञान विषय में स्कूल स्तर पर विकलांगता पर एक अध्याय शामिल करने के लिए NCERT से अनुरोध किया है, ताकि छात्रों में बचपन से ही विकलांगता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा की जा सके, जिससे वे इस मुद्दे को समझ सकें और दिव्यांगजनों की समानता और सशक्तिकरण के लिए काम कर सकें। यह माता–पिता और समाज को समग्र रूप से दिव्यांगजनों के विभिन्न मुद्दों के बारे में भी जागरूक करेगा।

11.4. जनगणना 2021 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 के तहत 21 विकलांगताओं के समावेश और विकलांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन

राष्ट्रीय न्यास ने 9 और 10 अप्रैल, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस, जनगणना 2021 की 2–दिवसीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत से जनगणना 2021 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत 21 विकलांगताओं को शामिल करने का अनुरोध किया है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना या अन्यथा 2021 की जनगणना के आंकड़ों में भी दर्ज किया जा सके।

यह भी अनुरोध किया गया है कि आगामी जनगणना 2021 में दिव्यांगजनों को जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की जानकारी को भी सम्मिलित किया जाये जिससे उनके लिए योजना/नीति तैयार करने के लिए दिव्यांगजन की स्थिति स्पष्ट हो।

11.5. नई शिक्षा नीति 2019 पर राष्ट्रीय न्यास की टिप्पणियां

ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2019 पर राष्ट्रीय न्यास की टिप्पणी, पंजीकृत संगठनों की प्रतिक्रिया के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 14.8.2019 को भेजी गई थी। टिप्पणी का विवरण इस प्रकार है–

कभी–कभी, प्राकृतिक उपहार से इनकार/अस्वीकारता अक्षमता की ओर जाता है। दिव्यांगजनों में विशेष प्रतिभा और कौशल होता है जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशासन, खेल, संगीत, कला और शिल्प आदि में उनकी उपलब्धियों के द्वारा दिखाया जाता है। हम सभी को इसे समझने की आवष्यकता है। राष्ट्रीय न्यास सभी राज्यों एवं केंद्र में स्कूल सिलेबस में विकलांगता पर एक अध्याय को यूनिसेफ, एनसीईआरटी, शिक्षा बोर्ड और क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से सम्मिलित करने की सिफारिश करता है।

शिक्षा पर दिव्यांगजनों के निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से दिशानिर्देश भी भेजे गए थे –

1. दिव्यांग बच्चों के प्रवेश हेतु दिशानिर्देश
2. समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों की परीक्षा/मूल्यांकन और संवर्धन
3. सीखने की विकलांगता वाले बच्चों के लिए दिशानिर्देश
4. संसाधन स्थानन कक्ष में दिव्यांग बच्चों की परीक्षा/मूल्यांकन और संवर्धन के बारे में दिशा निर्देश
5. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) से पीड़ित बच्चों के लिए दिशानिर्देश
6. बहु विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए दिशानिर्देश
7. गृह आधारित शिक्षा सेवा (एचबीई) के तहत दिव्यांग बच्चों की परीक्षा/ मूल्यांकन और पदोन्नति के बारे में दिशानिर्देश
8. परीक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान/सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए SSC बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) SCERT को दिशानिर्देश
9. परीक्षा के दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान/सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के लिए दिशानिर्देश
10. लोकोमोटर प्रभावित दिव्यांग बच्चों के लिए दिशानिर्देश
11. सेरेब्रल पाल्सी दिव्यांग बच्चों के लिए दिशानिर्देश
12. बौद्धिक दिव्यांग (मानसिक मंद) बच्चों के लिए दिशानिर्देश
13. दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए दिशानिर्देश
14. बधिर बच्चों के लिए दिशानिर्देश

11.6. ऑटिज्म से प्रभावित छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए दो दिवसीय का कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यास ने एक्शन फॉर ऑटिज्म दिल्ली के सहयोग से 12 एवं 13 अप्रैल, 2019 को "ऑटिज्म छात्रों का मुख्यधारा में समावेश" पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने 12 अप्रैल को कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक पेशेवर एवं दिल्ली/एनसीआर के पंजीकृत संगठनों ने भाग लिया। डॉ. इंद्राणी बसु, ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, कोलकाता से विशेषज्ञ (रिसोर्स पर्सन) के रूप में मौजूद थीं।

11.7 संवेदात्मक उपायों तरीकों द्वारा ऑटिज्म का उपचार पर कार्यशाला

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने 13 और 14 अप्रैल, 2019 को दिल्ली के एम्स (AIIMS) में आयोजित 'सेन्सरी मॉडेलिटीज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म' पर 2–दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यशाला में डॉ. शेफाली गुलाटी, चीफ, चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन, एम्स, दिल्ली के साथ–साथ बड़ी संख्या में चिकित्सकों, पेशेवरों और गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

11.8 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर ध्यान देने के लिये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI) में बच्चों के पुनर–संस्थानीकरण/पुनर्वास और सामाजिक पुनर–एकीकरण पर दिनांक 24/5/2019 को TISS कैम्पस, मुम्बई में आयोजित सम्मेलन

श्री यू.के. शुक्ल, सहायक–विधि सलाहकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय न्यास के सहायक कानूनी सलाहकार ने 24 मई 2019 को मुंबई के मुख्य टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टिस) कैंपस में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के पुनर–संस्थानीकरण/पुनर्वास और सामाजिक पुनर–एकीकरण पर राष्ट्रीय न्यास की भूमिका एवं सहयोग पर एक पावर–पॉइंट प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय न्यास के कार्यक्रमों और योजनाओं और कानूनी संरक्षकता की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रणाली के बारे में प्रतिभागियों को सूचित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि, न्यायमूर्ति डॉ. शालिनी फनसालकर जोशी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, मुंबई उच्च न्यायालय ने एमसीडी होम केस के बारे में अपने विचार साझा किए, जो कि उनके सामने एक पीआईएल के रूप में दायर की गयी थी और उसके बाद प्रो. आशा बाजपेई ने एमिकस क्यूरि के रूप में एमसीडी होम से 34 व्यक्ति निकलवाए जिन्हें महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजा दिया और प्रो. आशा बाजपेयी और उनकी टीम की सहायता से चुनौती परियोजना के तहत मुंबई में बहुत अच्छी तरह से पुनर्वासित और कार्यरत हैं। उनमें से तीन उम्मीदवार – सुश्री कुसुम, सुश्री दीपाली शिंदे और श्री आदित्य उपस्थित थे जिन्होने अपने–अपने विचार साझा किए कि कैसे उन्हें एमसीडी होम से पुनर–संस्थानीकरण किया और स्वतंत्र जीवन शुरू करने के बाद उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

11.9. दिनांक 7.6.2019 को उत्तर पूर्वी (NE) राज्यों के पंजीकृत संगठनों की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय न्यास के कार्यक्रम अधिकारी ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 6 और 7 जून, 2019 को "कन्फ्लुएंस ऑफ रीसेन्ट डवलपमेंट" विषय पर भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर का उपयोग करते हुए, उत्तर पूर्वी राज्यों के पंजीकृत संगठनों की एक समीक्षा बैठक दिनांक 8 जून, 2019 को गुवाहाटी में आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्यास और पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों ने इस समीक्षा बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय न्यास के कार्यक्रम अधिकारी ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि हालांकि, राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं देश के बाकी हिस्सों के लिए नहीं खोली गई हैं, उन्हें उत्तर पूर्वी राज्यों संगठनों के लिए खोला गया है। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर–सरकारी संगठनों से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत करें और राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों को लागू करें।

11.10. मदुरै, तमिलनाडु में दिनांक 6 जून और 7 जून 2019 को आयोजित सरकारी अधिकारियों एवं पंजीकृत संगठनों के लिए दोहरा संवेदीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यास के सहायक विधि सलाहकार ने 6 जून 2019 को मदुरै में जिलाधिकारी कार्यालय में एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सरकारी अधिकारियों के साथ–साथ विद्यालयों के शिक्षक, डाकघर और बैंक अधिकारी शामिल हुए तथा उन्हें राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं व कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्तरीय समिति एवं कानूनी संरक्षकता के मुद्दे से अवगत कराया। उन्होंने बैठक के दौरान उठाए गए विभिन्न प्रश्नों को भी संबोधित किया।

राष्ट्रीय न्यास के सहायक विधि सलाहकार श्री यू.के. शुक्ल सम्मेलन को संबोधित करते हुए

उन्होंने 7 जून 2019 को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी), तमिलनाडू द्वारा पंजीकृत संगठनों के लिए आयोजित एक अन्य संवेदीकरण कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस बैठक में श्री के. बी. पीरामनयागम, डिस्ट्रिक्ट डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर ऑफिसर, विभिन्न संस्थाओं, तमिलनाडु के दिव्यांगजनों के अभिभावकों ने भाग लिया।

11.11. दिनांक 1 जुलाई, 2019 को लखनऊ, यू.पी. में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में 1 जुलाई, 2019 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ.प्र., श्री महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक आयोजित की जिसमें राष्ट्रीय न्यास के सहायक विधि सलाहकार श्री यू.के. शुक्ल, ने भाग लिया।

दिनांक 1 जुलाई, 2019 को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित श्री महेश चंद्र गुप्ता, अति. मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार एवं श्री यू.के. शुक्ल, सहायक विधि सलाहकार, राष्ट्रीय न्यास बैठक को संबोधित करते हुए

11.12. दिनांक 21.08.2019 को मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) की बैठक

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी), मध्य प्रदेश ने 21.08.2019 को पंजीकृत संगठनों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में 47 पंजीकृत संगठनों के अलावा श्री अभय दुबे, बोर्ड सदस्य, राष्ट्रीय न्यास, म.प्र. के विभिन्न जिलों के 44 समाज कल्याण अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास नवनीत कुमार उपस्थित थे।

श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी मध्य प्रदेश के पंजीकृत संगठनों को संबोधित करते हुए

बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण

11.13. दिनांक 30 और 31 अगस्त, 2019 को त्रिपुरा में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के संवेदीकरण के लिए बैठक और कानूनी संरक्षकता मुद्दे पर कार्यशाला

दिनांक 30 अगस्त 2019 को जिला प्राधिकरण, पश्चिम त्रिपुरा द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम और एडीएम, पश्चिम त्रिपुरा की उपस्थिति में श्री यू.के. शुक्ल, सहायक विधि सलाहकार राष्ट्रीय न्यास द्वारा कानूनी संरक्षकता एवं राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं व कार्यक्रमों के मुद्दे पर एक प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न सरकारी अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा, यूबीआई, एसबीआई, यूको बैंक, ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंधक, डाकघर के लोग, डीडीआरसी, एसआरसी, सीआरसी निदेशक और अधिकारी, स्कूल शिक्षा, एसडीएम, एडीएम, पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय न्यास के सहायक विधि सलाहकार श्री यू.के. शुक्ल 30 अगस्त 2019 को पश्चिम त्रिपुरा में जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

अगले दिन 31 अगस्त 2019 को त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा रवीन्द्र सताभिषिकी भवन, हॉल–II, अगरतला में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मंत्री, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग, श्रीमती सनातन चकमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। श्री यू. के. शुक्ल, सहायक विधि सलाहकार द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटारडेशन और बहुविकलांग

दिव्यांगजनों के अभिभावकों को कानूनी संरक्षक के महत्व और राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं व कार्यक्रमों पर एक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारियों एवं दिव्यांगजनों के अभिभावकों ने भाग लिया।

11.14. उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दिनांक 9 सितंबर 2019 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास की योजना समीक्षा बैठक (SRC)

राष्ट्रीय न्यास की सभी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए, 3 बोर्ड सदस्यों – डॉ. सपम जसोवंता सिंह, श्रीमती पूजा वाघासिया और श्री पी.पी. सिंह के साथ एक योजना समीक्षा समिति (एसआरसी) का गठन किया गया है। SRC की पहली बैठक 7 और 8 अगस्त 2019 को हुई थी जिसमें मौजूदा योजनाओं के संशोधन पर कई अनुशंसा की गईं। उत्तर पूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, SRC की दूसरी बैठक 9 सितंबर 2019 को आयोजित की गई। डॉ. अलोका गुहा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और श्री पंकज मारू, समन्वयक, राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र, मध्य प्रदेश विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लिया। उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत चर्चा करने के बाद, निरामय योजना के तहत निःशुल्क नामांकन करने, उत्तर पूर्वी राज्यों के सरकारी अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाना, और निधिकरण की शर्त को हटाने जैसे– नई योजना के अनुमोदन पर 2 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि हटाने एवं नई योजना के अनुमोदन पर प्रतिबंध सहित कई सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई।

11.15. राष्ट्रीय न्यास की 19 वीं वार्षिक आम बैठक

राष्ट्रीय न्यास की 19 वीं वार्षिक आम बैठक श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितंबर, 2019 को विश्व युवा केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। वार्षिक आम बैठक में देश भर के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने सभी संगठनों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में राष्ट्रीय न्यास की 83 वीं बोर्ड की सुबह हुई बैठक के दौरान चर्चा के बारे में बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को सूचित किया कि राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए किस प्रकार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आई.आई.टी.–मुंबई द्वारा तैयार किए गए **जैलो कम्यूनिकेटिव डिवाइस** के बारे में बात की, जिसमें डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म, एएसडी से प्रभावित बच्चों को उनके संज्ञानात्मक विकास को समझने और मदद मदद की गई।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बिहार और अन्य राज्यों में सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता व्यक्त की, जहां राष्ट्रीय न्यास की सेवाओं की पहुंच पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम को साझा करते हुए बताया कि मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी अब अप्रचलित शब्द हैं। उन्होने कहा कि वह जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि यूएनसीआरपीडी इन शब्दावली के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया।

श्री डी जैकब, एसएनएसी–केरल एवं श्री पंकज मारू, एसएनएसी–मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों पर राज्य में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा किया। इसके अलावा, पहली बार दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों ने दर्शकों के समक्ष विभिन्न गतिविधियों, घटनाक्रमों को साझा किया, जिससे उनके संगठन समृद्ध बनें एवं आगे दिव्यांगजनों को लाभ मिला।

राष्ट्रीय न्यास की 19वीं वार्षिक आम सभा में श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास द्वारा दीप प्रज्ज्वलन

श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास की 19वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए

सुश्री शकुन्ताला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास वार्षिक आम बैठक के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए

श्री निकुंज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक आम सभा के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए

वार्षिक आम बैठक के दौरान राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्य,
पंजीकृत संगठन एवं अन्य प्रतिभागीगण

पंजीकरण डेस्क – 19 वीं वार्षिक आम बैठक

पंजीकृत संगठनों को योजना धारकों के सभी मामलों की सुनवाई के लिए बोर्ड के निर्णय के बारे में भी बताया गया, जिनका अनुदान अंतिम निर्णय लेने से पहले रोक दिया गया। पंजीकृत संगठनों और अन्य प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय न्यास को विभिन्न मुद्दों/योजनाओं पर सुझाव दिए। पंजीकृत संगठनों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संबोधित किया गया।

11.16. दिनांक 12 सितंबर, 2019 को आयोजित राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी) की परामर्श बैठक

दिनांक 12 सितंबर, 2019 को श्री निकुंज किशोर सुंदराय, की अध्यक्षता में राज्य नोडल एजेंसी केन्द्रों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। श्री अभय कुमार दुबे, बोर्ड के सदस्य, राष्ट्रीय न्यास, श्री निपुन मल्होत्रा, सीईओ, निपमैन फाउंडेशन, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारी और राज्य नोडल एजेंसी केन्द्रों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।

एसएनएसी समन्वयकों ने बैठक के दौरान उनकी उपलब्धियों और उनकी समस्याओं को साझा किया। उनमें से कुछ ने अपने कार्य क्षेत्रों के साथ अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने एसएनएसी को सलाह दी कि वे दिव्यांगजन की विभिन्न सेवाओं जैसे – विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना, स्कूलों में प्रवेश, कौशल विकास और रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों को अपने राज्य में मजबूत करने पर ध्यान दें। एसएनएसी समन्वयकों को उनके संबंधित राज्यों के सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य में राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों का विस्तार करने की सलाह दी।

श्री निकुंज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, 12 सितंबर, 2019 को परामर्श बैठक में एसएनएसी समन्वयकों को संबोधित करते हुए

11.17. दिनांक 22/10/2019 को आयोजित स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) पर राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय न्यास ने 3 सदस्यों की स्थानीय स्तरीय समिति और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति के मुद्दों और चुनौतियों की समीक्षा के लिए एसएनएसी समन्वयकों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस समीक्षा बैठक में 13 एसएनएसी समन्वयकों ने भाग लिया।

जिलों में 3 सदस्यों की स्थानीय स्तरीय समिति के गठन की सुविधा के लिए कई निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

सभी एसएनएसी, संबंधित जिलों के गैर–सरकारी संगठनों को प्रेरित करेंगे, जो राष्ट्रीय न्यास की विकलांगता के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय न्यास के साथ उनके राज्य के गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए और

श्री उमेश कुमार शुक्ल, कार्यक्रम निदेशक राष्ट्रीय न्यास 22 अक्टूबर 2019 को स्थानीय स्तरीय समिति की परामर्श बैठक में एस.एन.ए.सी. समन्वयकों को सम्बोधित करते हुए

यदि आवश्यक हो, तो राज्य नोडल एजेंसी केंद्र को समय–समय पर नियमित रूप से अपने केंद्र में पंजीकरण शिविरों/कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानीय स्तरीय समिति के लिये ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पंजीकृत संगठनों और दिव्यांगजनो के लिए उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के अनुशंसा पत्र के अलावा, एसएनएसी का अनुशंसा पत्र भी स्वीकार किया जाएगा तथा स्थानीय स्तरीय समिति के दिशानिर्देशों में इसे शामिल किया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि सभी एसएनएसी समन्वयक प्रत्येक जिले की स्थानीय स्तरीय समिति के लिए पंजीकृत संगठनों और दिव्यांग व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराएंगे, जहां आज तक, जिला कलेक्टर द्वारा पंजीकृत संगठन की सिफारिश नहीं की गई है। यदि जिले में राष्ट्रीय न्यास के साथ कोई संगठन पंजीकृत नहीं है, तो पड़ोसी जिले के पंजीकृत संगठन के नाम की सिफारिश उनके गृह जिले से जिले की दूरी के साथ की जाएगी। हालांकि, दिव्यांग सदस्य के मामले में, केवल गृह जिले के ही दिव्यांगजन की सिफारिश की जाए।

11.18. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में संशोधन

दिनांक 26 मार्च 2019 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास की 81 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय न्यास अधिनियम से संबंधित एक व्यापक प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया। इसके बाद विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई और निम्नलिखित विशेषज्ञों ने भाग लिया –

1. श्रीमती आलोक गुहा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास
2. श्री गौतम बनर्जी, राष्ट्रीय न्यास के पूर्व कानूनी सलाहकार
3. श्रीमती पूजा सुरेशभाई वाघासिया, बोर्ड सदस्य, राष्ट्रीय न्यास
4. श्री पंकज मारू, एसएनएसी–मध्य प्रदेश
5. श्रीमती शांति औलक, मुस्कान, दिल्ली
6. सुश्री मेरी बरुआ, एक्शन फॉर ऑटिज्म, दिल्ली
7. कमांडर बिजुर, परिवार
8. श्री अखिल पॉल, सेंस इंटरनेशनल (इण्डिया), अहमदाबाद

समिति की बैठक 20 और 21 नवंबर 2019 को आयोजित हुई। समिति द्वारा प्रस्तावित प्रथम मसौदा, 2 दिसंबर 2019 को आयोजित 84 वीं बोर्ड बैठक के समक्ष रखा गया, जिसमें यह देखा गया कि इसमें आगे स्वास्थ्य क्षेत्रों के डोमेन विशेषज्ञों एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नीति विशेषज्ञों से विचार–विमर्श और विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता है। तदनुसार, निम्नलिखित सदस्यों वाली एक दूसरी समिति गठित की गई –

स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रतिनिधि के रूप में (प्रो. शेफाली गुलाटी, एच.ओ.डी, बाल रोग विभाग, एम्स) को नामित किया गया।

- सुश्री रूबी सिंह, बोर्ड सदस्य
- श्री गुरइकबाल सिंह बेदी, बोर्ड सदस्य
- श्री आशीष कुमार, बोर्ड के सदस्य

प्रतिनिधि, नीति प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (श्री डी. के. पांडा, अवर सचिव नामित किए गए)

दिनांक 5 और 6 फरवरी, 2020 को इस समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के सदस्यों को स्पष्टीकरण और सहायता प्रदान करने के लिए श्री गौतम बनर्जी, पूर्व विधि सलाहकार, राष्ट्रीय न्यास भी 5 फरवरी 2020 को उपस्थित थे। दोनों समितियों द्वारा ड्राफ्ट में किए गए व्यापक बदलाव और समय–समय पर प्राप्त अनुभव और शिकायतों के आधार पर राष्ट्रीय न्यास कार्यालय द्वारा किए गए कार्य नीचे दिए गए हैं –

1. प्रस्तावना पर एक खंड और सिद्धांतों पर एक अन्य शामिल है, जिस पर नया राष्ट्रीय न्यास संशोधन आधारित है।

2. अधिनियम का नाम **राष्ट्रीय न्यास (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और बौद्धिक दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक अधिनियम)** के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

3. प्रो. शेफाली गुलाटी द्वारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बौद्धिक विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषाओं का सुझाव दिया गया था। सेक्टर की चिंता को दूर करने के लिए बौद्धिक विकलांगता परिभाषा में डाउन सिंड्रोम का उल्लेख किया गया है।

4. हालांकि बहुविकलांगता को अधिनियम के नाम से हटा दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव के मुख्य निकाय में इसे परिभाषित किया गया है। जिसमें से अन्य विकलांगताओं के साथ संशोधन प्रस्ताव में वर्णित यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बौद्धिक विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी में वर्णित से होना चाहिए। इसलिए यह संशोधन प्रस्ताव में शामिल है।

5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत सात राष्ट्रीय संस्थानों (PDUNIPPD–दिल्ली, NIEPVD–देहरादून, NILD–कोलकाता, SVNIRTAR– कटक, NIEPID–सिकन्दराबाद, NIEPMD– चेन्नई और AYJNISHD–मुम्बई) के निदेशक, ALIMCO व NHFDC के CMD और RCI के सदस्य सचिव, सदस्य, पूर्व–अधिकारी।

6. बोर्ड के सदस्यों की उस चिंता को जिसमें उनके प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन को सहायता प्रदान करना बंद कर दिया जाता है, जैसे ही वे राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं।

7. धारा 10 के तहत जो न्यास के उद्देश्यों को संदर्भित करता है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन/संयोजन किए गए हैं –

   - ऐसे दिव्यांगजन, जिनके पास परिवार का समर्थन नहीं है, के मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए।
   - दिव्यांगजन के सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए।
   - इस क्षेत्र के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग।

8. संशोधित नियमों में अध्यक्ष और सीईओ की भूमिका को संशोधित नियमों में स्पष्ट किया है जिन्हें अब मुख्य अधिनियम में शामिल किया गया है, सिवाय इसके कि अध्यक्ष को न्यास के अध्यक्ष के रूप में देखा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय न्यास का बोर्ड शामिल है ।

9. अध्याय– IV के तहत, बोर्ड के शक्तियों और कर्तव्यों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं–

   - अध्याय– IV धारा 11 (1) (बी) के तहत दूसरा नियम हटा दिया गया है।
   - अध्याय– IV के तहत फिर से धारा 11 (2) जो अनुमोदित कार्यक्रमों को संदर्भित करता है, कई प्रावधान जोड़ दिए गए हैं जैसे स्किलिंग सेंटर, स्कूल की तैयारी, गृह आधारित, विशेष और समावेषी

राष्ट्रीय न्यास की भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती अलोका गुहा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में विशेषज्ञों की समिति की बैठक

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संशोधन के विशेषज्ञों की समिति की सचिव, दिव्यांगजन, सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास के साथ बैठक

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संशोधन के विशेषज्ञों एवं राष्ट्रीय न्यास के अधिकारीगण का बैठक के उपरांत समूह छाया चित्र – दिनांक 21 नवम्बर 2019

व्यवस्था, समुदाय आधारित व्यवस्था, प्रारंभिक पहचान को बढ़ावा देना और हस्तक्षेप, कार्यक्रमों को संदर्भित करना हैं पक्षसमर्थन कार्यक्रम, प्रषिक्षण और सरकारी योजनाओं में शामिल करने की तैयारी, इन दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा का प्रावधान और जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित आवास आदि।

10. नए अध्याय–V को राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) के रूप में जोड़ा गया है जिसमें रचना और कार्य शामिल हैं। यह राष्ट्रीय न्यास की प्रक्रियाओं और कार्यों में राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में शामिल करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है, जो वर्तमान अधिनियम में एक प्रमुख कमी है। एसएलसीसी की बैठक की अवधि छह से तीन महीने कर दी गई है।

11. पंजीकरण प्रक्रिया को बरकरार रखना, जैसा कि वर्तमान अधिनियम में है।

12. समर्थित निर्णय लेने (सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग – एसडीएम) पर एक और नया अध्याय VII, जो दिव्यांगजनों की कानूनी क्षमता की मान्यता के लिए लंबे समय से मांग थी, को कानूनी संरक्षकता के मौजूदा प्रावधानों के साथ जोड़ा गया है।

13. स्थानीय स्तरीय समिति के अध्याय VIII का विस्तार, इसकी रचना और इसके बताए गए प्रभावी कार्य दोनों की दृष्टि से किया गया है

14. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और उसके बाद के संशोधनों के प्रशासनिक प्रावधानों को बनाए रखना।

15. अध्यक्ष के कार्यालय को मजबूत करने के लिए "इंक्वायरी एंड एनफोर्समेंट" नाम से अंतिम अध्याय जोड़ा गया है।

16. अभिभावक संघ, दिव्यांगजनों के संगठन एवं वैकल्पिक अभिभावक पर परिभाषाओं को जोड़ा गया है। समर्थित निर्णय अध्याय को सेल्फ एडवोकेसी से जोड़ने के साथ स्थानीय स्तरीय समिति एवं कानूनी संरक्षक खंड में वैकल्पिक संरक्षक का विस्तार किया गया है।

    राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संशोधन पर मसौदा प्रस्ताव अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सौंप दिया गया है।

11.19. "सोशल रोल वोलराइजेशन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रस्तुति

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री निकुंज किशोर सुंदराय, राष्ट्रीय न्यास ने 22 नवंबर, 2019 को दिल्ली में कीस्टोन इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा आयोजित सोशल रोल वॉलेराइजेशन (एसआरवी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रस्तुति दी।

11.20. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेश पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुति

श्री निकुंज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS), दिल्ली में 29 नवंबर 2019 को बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेश पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक प्रस्तुति दी।

11.21. दिनांक 16 से 19 दिसंबर 2019 को मान्यता समिति की चौथी बैठक

राष्ट्रीय न्यास बोर्ड ने संशोधित दिशानिर्देश तैयार करने और मौजूदा पंजीकृत संगठनों की गुणवत्ता का आकलन करने और उन्हें वित्तीय वर्ष 2018–19 से धनराशि जारी करने के लिए विभिन्न मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए 3 बोर्ड सदस्यों का गठन करते हुए एक मान्यता समिति का गठन किया। मान्यता समिति की 3 बैठकें हुईं जिसमें

विभिन्न परियोजनाओं को जारी रखने/बंद करने पर निर्णय लिया गया तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर भी दिशानिर्देश बनाए गए।

मान्यता समिति की चौथी बैठक 16 से 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में आयोजित की गई। उन परियोजना/योजना धारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जिनकी परियोजनाओं को प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया था, सुनवाई के लिए सत्यापन समिति की बैठक में बुलाया गया। कुल 35 पंजीकृत संस्थाओं में से 29 पंजीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिनके मामलों की जांच की जा रही थी, सुनवाई में शामिल हुए।

11.22. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में "संपर्क – इन द आवर ऑफ नीड" योजना का कार्यान्वयन

3 मई, 2019 को ओडिशा एक सुपर साइक्लोन 'फानी' से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। राज्य के पांच जिले जैसे पुरी, खुर्दा, कटक, केंद्रपाडा और जगतसिंहपुर सबसे अधिक प्रभावित थे। दिव्यांगजनों पर इसके बहुत गंभीर प्रभाव हुए जिसके परिणामस्वरूप मूर्त और अमूर्त नुकसान हुआ।

विकलांग व्यक्तियों पर चक्रवात के प्रभाव का आकलन करने के लिए, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने 6 और 7 जून, 2019 को राज्य का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक की और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने राज्य सरकार और पंजीकृत संगठनों के अधिकारियों के साथ चर्चा की

राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों की उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव श्री आदित्य प्रसाद पाढी, भा.प्र.से. के साथ बैठक

तत्पश्चात्, श्री आदित्य प्रसाद, मुख्य सचिव, उड़ीशा के साथ एक बैठक की गयी जिसमे सुपर साइक्लोन 'फानी' से प्रभावित दिव्यांगजन को कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पर चर्चा हुई। बैठक में डॉ आशीष कुमार, बोर्ड सदस्य – राष्ट्रीय न्यास, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारी एवं राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र (SNAC) ने भाग लिया।

मूल्यांकन के आधार पर, 'संपर्क–इन द आवर ऑफ नीड' नामक एक योजना की अवधारणा की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजनों की पहचान करना और उन्हें सुपर साइक्लोन के कारण होने वाले सदमे और आघात को दूर करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक और आघात परामर्श प्रदान करना है। उन्हें राष्ट्रीय न्यास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का आवश्यक समर्थन प्रदान करना योजना के अन्य उद्देश्य हैं।

योजना के कार्यान्वयन के लिए, डॉ. कस्तूरी महापात्रा, प्रमुख, ओपन लर्निंग सिस्टम, भुवनेश्वर की अध्यक्षता में एक समिति, का गठन किया गया है। प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय न्यास के सभी पंजीकृत संगठन (आरओ) इस समिति के सदस्य हैं।

यह योजना 1 नवंबर, 2019 को ओडिशा के 5 जिलों में 100 दिनों के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे ओडिशा के 2 और पश्चिम बंगाल के 3 अन्य जिलों तक बढ़ाया गया, जो सुपर साइक्लोन 'बुलबुल' से प्रभावित थे। COVID–19 के कारण योजना का कार्यकाल भी 26–8–2020 तक बढ़ाया गया। राष्ट्रीय न्यास की निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनके नामांकन पर कार्य जारी है।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय न्यास, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अनुरूप अपील प्राधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं–

अपील प्राधिकारी
श्री यू. के. शुक्ल
कार्यक्रम निदेशक
राष्ट्रीय न्यास
16 बी, बड़ा बाजार मार्ग,
पुराना राजिन्दर नगर,
नई दिल्ली–110060
फोनः 011–43187804
ईमेलः ala@thenationaltrust.in

लोकसूचना पदाधिकारी
श्री नवनीत कुमार
उपनिदेशक
राष्ट्रीय न्यास
16 बी, बड़ा बाजार मार्ग,
पुराना राजिन्दर नगर,
नई दिल्ली–110060
फोनः 011–43187805
ईमेलः po@thenationaltrust.in

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, 2019–20 के दौरान, राष्ट्रीय न्यास को पोर्टल के माध्यम से 37 आरटीआई आवेदन ऑफलाइन और 88 ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान 5 ऑनलाइन अपील प्राप्त हुई हैं। सभी आवेदनों और अपीलों का समय–सीमा में निस्तारण कर दिया गया है।

अस्वीकरणः

हिन्दी एवं अंग्रेजी वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में किसी भी तरह के अंतर/विसंगति के मामले के निराकरण हेतु अंग्रेजी संस्करण को ही मुख्य प्रतिलिपि के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(सभी आंकड़े रुपयों में)

संचित निधि/पूंजी निधि और देनदारियां:	**अनुसूची**	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
संचित निधि	1	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
पूंजी निधि	1	18,25,81,804.00	15,95,66,982.00
आरक्षित और अधिशेष	2	0.00	0.00
निर्धारित/ अक्षय निधि	3	28,10,085.00	27,51,344.00
सुरक्षित ऋण और उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण और उधार	5	0.00	0.00
स्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	1,40,51,539.00	2,18,87,248.00
कुल:		**1,19,94,43,428.00**	**1,18,42,05,574.00**
संपत्ति:			
अचल संपत्ति	8	23,61,367.00	25,34,223.00
निवेश – संचित निधि से	9	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
अन्य निवेश	10	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियाँ,ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	13,70,82,061.00	12,16,71,351.00
विविध खर्च		0.00	0.00
(बट्टा खाते में या समायोजित नहीं की गयी सीमा तक)			
कुल:		**1,19,94,43,428.00**	**1,18,42,05,574.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

सभी आंकड़े रुपयों में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
	(रू.)	(रू.)	**I. व्यय**	(रू.)	(रू.)
I. प्रारम्भिक शेष			क) स्थापना व्ययः : अनुसूची 20 के अनुसार **रू. 2,49,54,200/- घटाएँ**: डीसीआरजी (D.C.R.G) के लिए प्रावधान / **रू. 21,92,580**/-(11,07,255+10,85,325) **Plus :** DCRG/Leave encashment paid Rs. 15,34,804/- (5,86,556+9, 48,248)	**2,42,96,424.00**	**1,94,10,883.00**
क) हाथ में नकदी	**0.00**	**0.00**	ख) प्रशासनिक व्यय (तदनुसार 21 अनुसूची के लिए)	**1,39,37,894.00**	**1,34,05,395.00**
ख) बैंक शेष			ग) Funds payable (Previous year outstanding relating to Schemes)	**85,15,325.00**	**0.00**
i) चालू खाते में	**0.00**	**0.00**	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधिया के एवज में भुगतान**		
ii) बचत खातों में	**10,21,33,683.00**	**5,20,27,180.00**	क) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान (अनुसूची 22):	**23,98,58,327.00**	**18,83,33,182.00**
iii) F.C.R.A. A/c	**58,741.00**				
II. प्राप्त अनुदान					
			III. जमा और निवेश राशि		
क) राज्य सरकार से	**0.00**	**0.00**	क) आरबीआई बांड में निवेश	**0.00**	**0.00**
			ख) अन्य निवेश (बैंक सावधि जमा)	**0.00**	**0.00**
			IV. अचल सम्पत्तियों पर व्यय एवं चल रही कार्यपूंजी		

			क) अचल संपत्तियों की खरीद	2,39,365.00	72,442.00
III.से निवेश पर आय			**V.अधिशेष राशि/कर्ज वापसी**		
क) आरबीआई बांड पर ब्याज	8,48,00,000.00	8,48,00,000.00	क) भारत सरकार को	0.00	0.00
ख) अन्य निवेशः सावधि जमा पर ब्याजः रू. 0.00 **जोड़ाः** उपार्जित ब्याज की जमा राशिः रु. 1,41,33,333/- **घटायाः** जमा राशिः रू. : 1,41,33,333/-	0.00	0.00	ख) राज्य सरकार को	0.00	0.00
IV. प्राप्त ब्याज			c) To other providers of funds	0.00	0.00
क) बैंक बचत पर	23,84,933.00	20,66,597.00			
V. अन्य प्राप्तियां/आय			**VI.वित्त प्रभार**		
क) निरामय प्राप्ति 1) नामांकन/नवीनीकरण रू. 1,17,53,365/-	1,17,53,365.00	1,85,17,077.00	(तालिका 23)	0.00	0.00
ख) समा. न्या. व अधि. मंत्रा. से प्राप्त सहायता अनुदान	20,00,00,000.00	16,23,34,000.00	**VII.अन्य भुगतान (उल्लिखित)**		
ग) दान	30,49,036.00	30,04,660.00	**1 कार्यालयों को प्रेषितः**		
घ) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड (प्रायोजन)	0.00	0.00	क) पिकअप (PICUP),लखनऊ (सहा.वि.सलाहकार)	0.00	0.00
ङ) पंजीकरण शुल्क	1,90,050.00	2,32,000.00	ख) जीवन बीमा निगम	23,535.00	25,380.00
च) सूचना का अधिकार (R.T.I.) शुल्क	20.00	300.00	ग) पी.एफ.आर.डी.ए. (PFRDA) नई पेंशन योजना के लिए	20,72,038.00	21,69,882.00
छ) **विविध प्राप्तियाँ/आय**	60.00	1,00,400.00			
ज) प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन राशि	0.00	0.00	घ) शहरी विकास मंत्रालय को	0.00	0.00
VI.राशि उधार	0.00	0.00	ङ) A.G. उड़ीसा	6,28,460.00	2,79,240.00
VII.अन्य कोई रसीद			च) A.G. मध्य प्रदेश	0.00	25,660.00
क) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बॉन्ड की 8 प्रतिशत परिपक्वता	0.00	0.00	छ) निदेशालय सम्पदा	6,90,120.00	2,83,384.00
ख) एफ़डीआर (FDRs) का नकदीकरण	0.00	0.00	ज) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	12,000.00	5,000.00
ग) लोतिका सरकार एंडॉमेंट फंड (ब्याज)	0.00	2,00,000.00			
VIII. अन्य कार्यालयों को भेजी गयी रकम की वसूली			**2. अन्य विविध. भुगतानः**		

क)सेवाओं के लिए अग्रिम राशि का समायोजन (फ़र्मों / संस्थानों)	**4,53,106.00**	**43,32,720.00**	क) विविध. अग्रिम(फ़र्मों / संस्थानों):		
1) विश्व यूवक केन्द्र–रु. 90,270/- 2) अशोका टूर्स एंड ट्रेवल्स –रु. 1,87,336/- 3) विज्ञान भवन, नईदिल्ली –रु. 0.00/- 4) डोल्फिन रेफ्रिजरेषन –रु. 1,19,500/- 5) भारतीय विधि संस्थान –रु. 50,000/- 6) मो0 रमजानः –रु. 6,000/-			1) विश्व यूवक केन्द्र–रु. 90,270/- 2) अशोका टूर्स एंड ट्रेवल्स –रु. 1,87,336/- 3) विज्ञान भवन, नई दिल्ली–रु. 1,71,800/- 4) भारतीय विधि संस्थान : –रु. 50,000/— 5) डोल्फिन रेफ्रिजरेषन :–रु. 1,19,500/- 5) मो0 रमजानः–रु. 6,000/-	**6,24,906.00**	**41,22,118.00**
ख) AG ओड़ीशा	**6,28,460.00**	**2,79,240.00**	ख) अवधि बाधित चेक	**0.00**	**0.00**
ग) जीवन बीमा निगम	**23,535.00**	**25,380.00**	ग) चिकित्सा अग्रिम	**38,000.00**	**0.00**
घ) वेतन से नई पेंशन योजना (सीपीएस) के लिए रिकवरी	**20,72,038.00**	**21,69,882.00**	घ) लोतिका सरकार एंडॉमेंट फंड (पुरस्कार)	**0.00**	**2,00,000.00**
ङ) A.G. छत्तीसगढ़	**0.00**	**0.00**	ङ) आकस्मिक अग्रिम	**2,55,000.00**	**79,000.00**
च) A.G. मध्य प्रदेश	**0.00**	**25,660.00**	च) यात्रा अग्रिम	**3,25,912.00**	**1,02,668.00**
छ) सम्पदा निदेशालय	**6,90,120.00**	**2,83,384.00**	छ) एलटीसी (L.T.C.) अग्रिम	**2,89,674.00**	**2,32,964.00**
ज) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	**12,000.00**	**5,000.00**	ज) त्योहार अग्रिम	**0.00**	**0.00**
			झ) लेखा जांच शुल्क हेतु प्रावधान	**0.00**	**0.00**
IX. वसूली, रिफंड और अग्रिम का समायोजन			ञ) T.D.S. (ठेकेदार)	**13,14,835.00**	**10,35,946.00**
क) सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्म	**0.00**	**20,000.00**	त) T.D.S. (वेतन)	**19,63,430.00**	**15,85,215.00**
ख) आकस्मिक अग्रिम	**2,37,000.00**	**79,000.00**	थ) संविदा कर्मचारी सुरक्षा राशि जमा	**0.00**	**0.00**
ग) चिकित्सा अग्रिम	**38,000.00**	**0.00**	द) फर्मों की जमा राशियां: मेसर्स – सोनेक्स प्रिंट पैक प्रा. लि.	**0.00**	**20,000.00**
घ) यात्रा अग्रिम	**3,25,912.00**	**1,32,341.00**	ध) लेखापरीक्षक, ओड़ीशा को श्री एन.के. सुंदराय का एचबीए (HBA) ब्याज़	**0.00**	**1,65,000.00**
ङ) एलटीसी अग्रिम	**1,17,256.00**	**2,32,964.00**	**VIII.जमा शेष**		
च) मोटर वाहन अग्रिम			क) हाथ में नकदी	**14,605.00**	**0.00**
छ) भवन निर्माण अग्रिम (165000+28896)	**28,896.00**	**1,93,896.00**	ख) बैंक राशि::		
ज) त्योहार अग्रिम	**0.00**	**0.00**	i) चालू खातों में		
झ) टीडीएस (T.D.S.), ठेकेदार	**13,14,835.00**	**10,35,946.00**	ii) बचत खातों में	**11,71,96,466.00**	**10,21,33,683.00**
ञ) टीडीएस (T.D.S.), वेतन	**19,63,430.00**	**15,85,215.00**			
ट) अवधि बाधित चेक	**21,840.00**	**4,200.00**			
कुल	**41,22,96,316.00**	**33,36,87,042.00**	**कुल**	**41,22,96,316.00**	**33,36,87,042.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 वर्ष के अंत तक आय और व्यय खाता

(सभी आंकड़े रुपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान / सब्सिडी / प्रायोजन	13	20,00,00,000.00	16,23,34,000.00
शुल्क / सदस्यता	14	1,19,43,415.00	2,25,16,225.00
निवेश से आय (आरबीआई बांड में)	15	8,48,00,000.00	8,48,00,000.00
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	0.00	0.00
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	17	23,84,933.00	20,66,597.00
अन्य आय	18	30,49,116.00	31,05,360.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी	19	0.00	0.00
कुल (ए)		**30,21,77,464.00**	**27,48,22,182.00**
व्यय			
स्थापना खर्च	20	2,49,54,200.00	2,12,00,864.00
प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,39,37,894.00	1,34,05,395.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	23,98,58,327.00	20,00,86,830.00
ब्याज, आदि	23	0.00	0.00
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुसार वर्ष के अंत में शुद्ध योग)	8	4,12,221.00	4,65,842.00
कुल (बी)		**27,91,62,642.00**	**23,51,58,931.00**
बकाया आय की व्यय पर आधिक्य (ए–बी)		**2,30,14,822.00**	**3,96,63,251.00**
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		0.00	0.00
सामान्य रिजर्व / पूंजी रिजर्व में स्थानांतरण		**2,30,14,822.00**	**3,96,63,251.00**
पूंजीगत निधि / रिजर्व में परिसंपत्तियों की शेष राशि की लागत			
विशिष्ट लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 1

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 1 – संचित/पूंजी निधि	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
संचित निधि				
वर्ष के प्रारम्भ में जमा राशि	1,00,00,00,000.00		1,00,00,00,000.00	
जोड़ें: संचित निधि की दिशा में योगदान	0.00		0.00	
जोड़ना/(घटाना): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय का शेष आय/(व्यय)	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
पूंजी निधि/आरक्षित निधि				
वर्ष के आरंभ में जमा राशि : आरक्षित पूंजी निधि	15,95,66,982.00		11,99,03,731.00	
जोड़ें: आय से अधिक व्यय	2,30,14,822.00		3,96,63,251.00	
कटौती:–	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में शेष राशि : आरक्षित पूंजी निधि	18,25,81,804.00	18,25,81,804.00	15,95,66,982.00	15,95,66,982.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 2

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 2 – भंडार और अधिशेषः	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
1. पूंजी आरक्षित				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
2. पुनर्मूल्यांकन जमा राशि				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
4. जनरल रिजर्वेशन				
अंतिम खाते के अनुसार				
कमः पूंजी निधि के अंतर्गत दर्शाए गए पिछले वर्षो में खरीदी गई अचल संपत्तियों की लागत का समायोजन				
इसके अलावा वर्ष के दौरान पूंजी निधि के अंतर्गत व्यय से अधिक आय का रिजर्वेशन करने के लिए				
पूंजीगत निधि में हस्तांतरित अचल सम्पत्तियों की लागत/जमा				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 3

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 3: निर्धारित अक्षय निधिः	निधि आधारित आंकड़े		योग	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) एफ़सीआरए (FCRA) की प्रारंभिक जमा राशि–रु 1,51,344/– डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि – रु. 26,000,00/	**27,51,344.00**	**27,51,344.00**	**27,51,344.00**	**27,51,344.00**
ख) वर्ष के दौरान धन के अलावा				
i) एफ़सीआर/ वीएसओ (F.C.R.A. VSO)	58,741.00	0.00	58,741.00	0.00
ii) डॉ लोतिकासरकार अक्षय निधि	0.00	2,00,000.00	0.00	2,00,000.00
कुल (ख)	**58,741.00**	**2,00,000.00**	**58,741.00**	**2,00,000.00**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय				
हस्तांतरित विविध प्राप्तियाँ				
i) एफ़सीआरए	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	2,00,000.00	0.00	2,00,000.00
कुल (ग)	**0.00**	**2,00,000.00**	**0.00**	**2,00,000.00**
घ) वर्ष के अंत में शेष (क+ख–ग)				
i) एफ़सीआरए	2,10,085.00	1,51,344.00	2,10,085.00	1,51,344.00
ii) डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि	26,00,000.00	26,00,000.00	26,00,000.00	26,00,000.00
कुल (घ)	**28,10,085.00**	**27,51,344.00**	**28,10,085.00**	**27,51,344.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 4, 5 व 6

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधार;	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
1. केंद्र सरकार	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	**0.00**	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	**0.00**	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	**0.00**	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	**0.00**	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	**0.00**	0.00
7. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अनुसूची 5–असुरक्षित ऋण और उधार				
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
7. सावधि जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00
नोटः एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				
अनुसूची 6: स्थगित ऋण देयताएंः	0.00	0.00	0.00	0.00
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य संपत्तियों के हाइपोथेकेशन द्वारा सुरक्षित स्वी.तिया	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00
नोटः एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 7

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 7: वर्तमान देयताएँ और प्रावधानः	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
A. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां	0.00		0.00	
2. विविध लेनदार				
क) जमा सुरक्षा राशि (फर्मों द्वारा रु. 2,15000/– व संविदा कर्मचारी द्वारा रु. 62,000/–)	2,77,000.00		2,77,000.00	
3. दावा रहित सुरक्षा राशि	0.00		0.00	
4. ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	0.00		0.00	
5. सांविधिक देयताएं–	0.00		0.00	
6. अन्य - 1. दिशा–कम–विकास योजना देय खाता रु. 39,79,500/– 2. दिशा योजना देय खाता रु. 16,66,500/– 3. विकस योजना रु. 23,40,500/– 4. व्यावसायिक शुल्क देय खाता रु. 5,28,825/–	0.00	2,77,000.00	85,15,325.00	87,92,325.00
कुल (क)	2,77,000.00	2,77,000.00	87,92,325.00	87,92,325.00
B. प्रावधानः				
1. कर लगाने के लिए (टीडीएस–ठेकेदार)	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ग्रेच्युटी	64,02,881.00	64,02,881.00	58,82,182.00	58,82,182.00
4. अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान	72,24,325.00	72,24,325.00	70,87,248.00	70,87,248.00
5. अन्य (अवधि बाधित चेक पर देयताएं)	1,47,333.00	1,47,333.00	1,25,493.00	1,25,493.00
कुल (ख)	1,37,74,539.00	1,37,74,539.00	1,30,94,923.00	1,30,94,923.00
कुल (क + ख)	1,40,51,539.00	1,40,51,539.00	2,18,87,248.00	2,18,87,248.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 8

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची –8:	कुल खंड				मूल्यह्रास				कुल शुद्ध संपत्ति	
अचल संपत्ति	लागत/वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान बढोत्तरी	वर्ष के दौरान निपटारा	लागत/मूल्यांकन वर्ष के अंत में	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान बढोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. इमारतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. फर्नीचर, फिटिंग	35,13,760.00	129420.00	0.00	36,43,180.00	21,49,442.00	1,49,374.00	0.00	22,98,816.00	13,44,364.00	13,64,318.00
5. कार्यालय उपकरण	29,31,563.00	32811.00	0.00	29,64,374.00	18,42,013.00	1,68,354.00	0.00	20,10,367.00	9,54,007.00	10,89,550.00
6. कंप्यूटर/ बाहरी उपकरण	46,65,575.00	71884.00	0.00	47,37,459.00	46,14,004.00	74,073.00	0.00	46,88,077.00	49,382.00	51,571.00
7. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	2,67,979.00	5250.00	0.00	2,73,229.00	2,39,195.00	20,420.00	0.00	2,59,615.00	13,614.00	28,784.00
8. प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. अन्य अचल संपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1,13,78,877.00**	**2,39,365.00**	**0.00**	**1,16,18,242.00**	**88,44,654.00**	**4,12,221.00**	**0.00**	**92,56,875.00**	**23,61,367.00**	**25,34,223.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 9–10

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 9 – संचय निधि से निवेश	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. हिस्सेदारी (Shares)	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): (i) आरबीआई बांड में जमा (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा	1,00,00,00,000.00 0.00	1,00,00,00,000.00 0.00
कुल	**1,00,00,00,000.00**	**1,00,00,00,000.00**
अनुसूची 10 – अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में (आरबीआई बांड)	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. हिस्सेदारी (Shares)	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ सावधि जमा	0.00	0.00
कुल	**6,00,00,000.00**	**6,00,00,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 11

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची–11: वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि:	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
A. वर्तमान संपत्ति:				
1. सूची:				
क) संग्रहित एवं बाहरी	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
ख) खुली सहायक सामग्री	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
ग) शेयर–इन–ट्रेड (प्रकाशन)	0.00		0.00	
आरंभिक स्टॉक:	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.00		0.00	
घटाएँ: मुत वितरण	0.00		0.00	
घटाएँ: नकदी हेतु विक्रय	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में जमा शेष	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
2. विविध देनदार:				
क) ऋण छह माह से अधिक के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
3. उपलब्ध शेष नकदी (चेक/ड्राट और रकम सहित)	14,605.00	14,605.00	0.00	0.00
4. बैंक बैलेंस:				
a) अनुसूची बैंकों के साथ:				
- चालू खातों पर	0.00		0.00	
- जमा खातों पर	0.00		0.00	
- बचत खातों पर	11,71,96,466.00	11,71,96,466.00	10,21,33,683.00	10,21,33,683.00

b) गैर–अनुसूची बैंकों के साथः	0.00			
- चालू खातों	0.00		0.00	0.00
- जमा खातों पर	0.00		0.00	0.00
- बचत खातों पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5. डाकघर–बचत खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग (क)	**11,72,11,071.00**	**11,72,11,071.00**	**10,21,33,683.00**	**10,21,33,683.00**
B. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां				
1. अग्रिमः				
क) आकस्मिक अग्रिम	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2. अग्रिम और अन्य नकद में वसूली योग्य राशि या दूसरे प्रकार में प्राप्त होने वाला मूल्यः				
(क) पूंजी खाते पर	0.00		0.00	0.00
(ख) अन्य पूर्व भुगतान	0.00			
(i) *मेसर्स एनएचएफ़डीसी (B.K. अम्बाला के लिए) – 3,33,000/– * मेसर्स एन.एस.के.एफ़.डी.सी. दिल्ली (बी.के. अंबाला और कर्नाटक प्रदर्शनियों के लिए) रु. 9,33,973/– * Vविज्ञान भवन, नई दिल्ली रु. 44,000/–	14,82,773.00		13,10,973.00	
(ii) डाक भेजने के लिएः शांति इंटरनेशनल – रू. 22,242/–(बढ़ते कदम सामग्री) एम.आर.एस. इंटरनेशनल – रु.1,35,000/(बढ़ते कदम सामाग्री)	1,57,242.00		1,57,242.00	
(iii) कर्मचारियों के लिए अग्रिमः एचबीए (H.B.A) – रु. 36,120/–	1,79,642.00		36,120.00	
(iv) सिक्योरिटी डिपॉजिट (किराया)	39,00,000.00	57,19,657.00	39,00,000.00	54,04,335.00
3. उपार्जित आय				
क) आरबीआई बॉन्ड्स में से निवेश पर	1,41,33,333.00		1,41,33,333.00	
ख) अन्य निवेश पर	0.00		0.00	
ग) भारतीय स्टेट बैंक–प्रोत्साहनराशि (Incentive)	0.00		0.00	
घ) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (शासकीय अनुदान)	0.00	1,41,33,333.00	0.00	1,41,33,333.00
4. दावा प्राप्त करने योग्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग (ख)		**1,98,70,990.00**		**1,95,37,668.00**
कुल योग (क + ख)		***13,70,82,061.00***		***12,16,71,351.00***

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 12–13

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
1. बिक्री से आय				
क) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) कच्चे माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) स्क्रैप की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
2. सेवाओं से आय				
क) श्रम और संसाधन प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) पेशेवर परामर्श सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) एजेंसी आयोग और ब्रोकरेज	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	0.00	0.00	0.00	0.00
म) अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल				
अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी (स्थिर अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)				
1. केंद्र सरकार (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से बजटीय सहयोग)	20,00,00,000.00	20,00,00,000.00	16,23,34,000.00	16,23,34,000.00
2. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से (सामा.न्याय व अधि. मंत्रा. के जागरूकता सृजन प्रचार के तहत कार्यशालाओं के लिए)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सरकारी एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
4. संस्थान / कल्याण निकाय	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00
6. प्रायोजकों (एन.एच.पी.सी.लिमिटेड द्वारा)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**20,00,00,000.00**	**20,00,00,000.00**	**16,23,34,000.00**	**16,23,34,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 14–15

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची–14 फीस/सदस्यता से आय	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
1. प्रवेश शुल्क	0.00		0.00	
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	0.00		0.00	
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क	0.00		0.00	
4. निरामय–स्वास्थ्य बीमा				
नामांकन/नवीकरण शुल्क	1,17,53,365.00		1,85,17,077.00	
हंस फाउंडेशन द्वारा योगदान			37,67,148.00	
अन्य वसूली	0.00	1,17,53,365.00	0.00	2,22,84,225.00
5. पंजीयन शुल्क	1,90,050.00	1,90,050.00	2,32,000.00	2,32,000.00
कुल	**1,19,43,415.00**	**1,19,43,415.00**	**2,25,16,225.00**	**2,25,16,225.00**
अनुसूची–15: निवेश से आयः				
निवेश पर आय				
1.ब्याज				
क) आरबीआई बांड पर	8,48,00,000.00	8,48,00,000.00	8,48,00,000.00	8,48,00,000.00
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	0.00		0.00	
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00		0.00	
कुल	**8,48,00,000.00**	**8,48,00,000.00**	**8,48,00,000.00**	**8,48,00,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 16–17

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 16–रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
1) रॉयल्टी से आय	0.00		0.00	
2) प्रकाशन से आयः प्रकाशन की बिक्री /	0.00		0.00	
3) अन्य (निर्दिष्ट): विविध कार्टिज (ब्तजतपकहम) आदि की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**		**0.00**	
अनुसूची 17– अर्जित ब्याज				
1) मीयादी जमा पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:	0.00		0.00	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00	
घ) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
2) बचत खातों पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	23,84,933.00		20,66,597.00	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00	
घ) अन्य	0.00	23,84,933.00	0.00	20,66,597.00
3) ऋणों पर				
क) कर्मचारियों को	0.00		0.00	
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
4) देनदारी एवं अन्य प्राप्त राशियों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**23,84,933.00**	**23,84,933.00**	**20,66,597.00**	**20,66,597.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 18–19

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 18– अन्य आय	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
1. परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ				
क) स्वामित्व परिसंपत्ति	0.00		0.00	
ख) अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति, या निःशुल्क प्राप्त	0.00		0.00	
2. आरबीआई बांड में जमापर प्राप्त प्रोत्साहन राशि	0.00		0.00	
3. दान	30,49,036.00		30,04,660.00	
4. विविध प्राप्तियाँ/आय	60.00		1,00,400.00	
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क	20.00	30,49,116.00	300.00	31,05,360.00
कुल	**30,49,116.00**		**31,05,360.00**	
अनुसूची 19 – जारी कार्य एवं तैयार माल के भंडार में बढ़ोत्तरी/कमी				
क) शेष माल				
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00
- कार्य–प्रगति में	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) घटाएँ : आरंभिक भंडार	0.00	0.00	0.00	0.00
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00
- कार्य–प्रगति में	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध बढ़ोत्तरी/कमी (क – ख)	0.00	0.00	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 20

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
	राशि (रू.)	
क) वेतन और मेहनताना (वेतन– रु. 1,74,08,861/- + संविदा कर्मचारियों का वेतनः रु. 22,10,605/-)	1,96,19,466.00	1,78,43,084.00
ख) भत्ते और बोनस (बोनस – रु. 62,172/-+92,500/-)	1,54,672.00	62,172.00
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय (एल.टी.सी.)	1,57,837.00	2,16,793.00
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय– DCRG/अवकाश नकदीकरण रु. 33,16,603 (+) नई पेंशन योजना रु. 10,36,019/-	43,52,622.00	23,46,097.00
ङ) अन्य : स्थापना संबंधी व्यय . (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रु. 4,57,440/- + शिक्षण शुल्क रु. 1,76,727/- + अखबार व्यय . प्रतिपूर्ति – रु 35,436/-)	6,69,603.00	7,32,718.00
कुल	**2,49,54,200.00**	**2,12,00,864.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 21

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 21–प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) बिजली	6,40,070.00	6,07,970.00
ख) जल प्रभार	23,265.00	10,207.00
ग) टेलीफ़ोन शुल्क	5,59,069.00	5,88,253.00
घ) मरम्मत एवं रखरखाव	1,63,542.00	99,205.00
ङ) किराया, दर एवं कर	93,60,000.00	93,60,000.00
च) चालू वाहन और रखरखाव	6,31,032.00	3,64,649.00
छ) डाक प्रभार	40,164.00	1,09,011.00
ज) मुद्रण एवं स्टेशनरी	5,73,141.00	2,03,055.00
झ) यात्रा और स्थानीय यात्रा (रु. 347620 + रु. 35245)	6,54,055.00	3,82,865.00
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	1,47,255.00	2,36,355.00
त) आतिथ्य व्यय/व्यय–विषयक	95,988.00	72,169.00
थ) पेशेबर शुल्क	1,00,850.00	5,64,700.00
द) फोटोकॉपी शुल्क	1,314.00	1,382.00
ध) अन्य विविध खर्च बैंक शुल्क सहित (रु. 7,87,480/– + रु. 18,094/–)	9,48,149.00	8,05,574.00
कुल	**1,39,37,894.00**	**1,34,05,395.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 22–23

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि परव्यय	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) कार्यक्रम एवं परियोजनाएं	**Amount (Rs.)**	
(i) दिशा एवं विकास	7,44,69,500.00	7,50,14,000.00
(ii) समर्थ एवं घरौंदा	3,45,35,000.00	3,65,51,500.00
(iii) सहयोगी – –केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना	0.00	14,63,000.00
(iv) निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना	11,52,67,129.00	8,03,98,565.00
(v) ज्ञान प्रभा	1,05,160.00	2,89,823.00
(vi) संभव	0.00	0.00
(vii) प्रेरणा–विपणन सहायता	0.00	0.00
(viii) बढ़ते–कदम	0.00	3,66,850.00
(ix) संपर्क–इन द आवर ऑफ नीड	1356955.00	0.00
कुल (क)	**22,57,33,744.00**	**19,40,83,738.00**
ख) जागरूकता और प्रचार		
(i) प्रदर्षनी एवं रोजगार मेला	5,734.00	21,735.00
(ii) कार्यशालाएं/सेमिनार	13,69,480.00	16,20,875.00
(iii) बेवसाइट एवं सॉटवेयर डवलपमेंट	24,01,853.00	0.00
कुल (ख)	**37,77,067.00**	**16,42,610.00**
ग) संस्थान व्यवस्था, बैठकें और अन्य		
(i) राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC)/राज्य नोडल एजेंसी पार्टनर (SNAP)	82,46,674.00	29,13,874.00
(ii) स्थानीय स्तरीय समिति	7,97,500.00	4,31,450.00
(iii) वार्षिक आम बैठक	2,74,833.00	1,61,258.00
(iv) बोर्ड बैठकें	4,81,024.00	5,56,011.00
(v) अन्य विविध बैठकें	5,47,485.00	2,97,889.00
कुल (ग)	**1,03,47,516.00**	**43,60,482.00**
घ) अनुसंधान अध्ययन एवं सर्वेक्षण		
अनुसंधान एवं सर्वेक्षण	0.00	0.00
कुल (घ)	**0.00**	**0.00**
वृहत कुल (क) से (घ)	**23,98,58,327.00**	**20,00,86,830.00**
अनुसूची 23–ब्याज आदि		
a) स्थिर ऋणों पर	0.00	0.00
b) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00	0.00
c) अन्य (निर्दिष्ट): बैंक डिमांड ड्राट बनाने हेतु शुल्क	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–24

अनुसूची 24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ

1. लेखांकन परम्पराः

वित्तीय विवरण वर्णनात्मक परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं बशर्ते कि वे लेखांकन की प्रोद्भूत विधि से तैयार न किए गए हों।

2. वस्तुसूची मूल्यांकनः

2.1 स्टोर्स और स्पेयर्स (मशीनरी स्पेयर्स सहित) का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध निर्मित समान तथा निर्मित सामान की गणना कम लागत तथा कुल प्राप्ति मूल्य के आधार पर की जाती है। लागत का आधार भारित औसत मूल्य है। निर्मित तथा अर्द्ध निर्मित सामान की लागत माल, श्रम और संबंद्ध ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

3. निवेशः

3.1 ''दीर्घावधि निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, कमी का प्रावधान यदि कोई हो तो, इस प्रकार के निवेशों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3.2 ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत तथा स्पष्ट मूल्य पर किए जाते हैं इस प्रकार के निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान निवेश के लिए अलग–अलग विचार करके किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली (ब्रोक्रेज), अंतरण स्टाम्प जैसे उपार्जन व्यय शामिल है।

4. उत्पाद शुल्क

निर्यात के अलावा स्वयं के लिए तैयार किए गए सामान के उत्पाद शुल्क की देयता वर्ष के अंत में उत्पादन के पूरा होने तथा उत्पाद कर योग्य निर्मित सामान यदि कोई हो – के प्रावधान पर तय की जाती है।

5. अचल परिसम्पत्तियां :

5.1 अचल परिसम्पत्तियां की अधिग्रहण खर्च की गणना से संबंद्ध आंतरिक, भाड़ा, शुल्क तथा करों और आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित लागत आधार पर की जाती है। निर्माण आधारित परियोजनाओं के मामले में संबंद्ध परिचालन पूर्व व्यय (वित्तीय परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके ब्याज सहित) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य का हिस्सा माने जाते हैं।

5.2 गैर–मौद्रिक अनुदान (संचय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूँजी निधि/आरक्षित निधि को अनुवर्ती ऋण के आधार पर बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. मूल्य ह्रास :

सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार दर्शायी गयी दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष के समापन पर परिसम्पत्तियों के परिमाण पर की गई है। वर्ष के दौरान रूपये 4,12,221/– (अनुसूची–8) की राशि की आय–व्यय

के लेखे में बट्टा खाते में डाला गया है।

7. विविध प्रकार के खर्च

स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, तो वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये लिखा गया है।

8. निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु लेखा–जोखा

''निरामय'' पर किए गए व्यय का लेखा तथा शुल्क आदि के मद में वसूली गई राजस्व को एकल खाता लेखा ''स्वास्थ्य बीमा योजना'' के अन्तर्गत 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएं'' शीर्षक से में दर्ज किया गया है। तथापि, परियोजना पर किए गए कुल व्यय को 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ' के अन्तर्गत अनुसूची–22 में दिखाया गया है, तथा वर्ष के दौरान राजस्व वसूली की आय के रूप में ''फीस/सदस्यता से आय'' के अन्तर्गत अनुसूची–14 में दिखाया गया है।

9. सरकारी अनुदान/सहायता :

9.1 सरकारी अनुदान के रूप में किसी योजना लगाने के लिये लागत पूंजी के योगदान को सुरक्षित पूंजी की तरह लिया जाता है तथा अधिग्रहित विशेष अचल सम्पत्ति के संदर्भ में अनुदान को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में दिखाया गया है।

9.2 अन्य सरकारी अनुदान को आय के रूप में ''अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजक'' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची–13 में दिखाया गया है।

10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

10.1 विदेशी मुद्रा में अंकित लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित हैं।

10.2 वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत तक प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि अचल परिसंपत्तियों की लागत के लिए समायोजित की जाती है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

11. लीज

लीज किराया का व्यय, लीज के नियमानुसार किया गया है।

12. सेवा निवृत्ति लाभ

12.1 कर्मचारियों के सेवा निवृति की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के लिए अतिरिक्त देनदारी का प्रावधान 31.03.2020 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में किया गया है। इसके अलावा, 31.3.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अवकाश नकदीकरण का प्रावधान भी किया गया है।

12.2 नए अंशदायी पेंशन योजना के आरंभ होने के परिणाम स्वरूप, पेंशनरों के लाभ के लिये ये प्रावधान किया जा रहा है एवं नियमित रूप से च्थ्थ्त्ण्क्ण्।ण् के पास जमा किया जाता है।

लेखा अधिकारी **प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा
बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के रूप में अनुसूची–25

अनुसूची–25: आकस्मिक देयताएं तथा लेखा टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं :

1.1 संगठन के विरूद्ध दावे जो कि ऋण के रूप में प्रतिपादित नहीं किये गयै – रु0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)

1.2 निम्न के संबंध में :

- संगठन की ओर से/ की तरफ से दी गई बैंक गारंटी'–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)
- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए क्रेडिट पत्र – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)
- बैंकों से छूट प्राप्त बिल–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग :

- आयकर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)
- बिक्री कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)
- निगम कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.4 आदेशों के निष्पादन न करने हेतु संगठन द्वारा किये गये दावे – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते से पूरा किए जाने वाला अनुमानित मूल्य जिनके लिए कुल अग्रिमों की व्यवस्था नहीं की गई – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

3. पट्टा (लीज) संबंधी वचनबद्धताएं

प्लांट एवं मशीनरी के लिए पट्टा वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत किराए की भावी वचनबद्धताएं रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

4. चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यावासायिक रूप से उगाही पर निर्भर करते हुए तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई आय कर योग्य नहीं थी, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
6.1	आयात की गणना सी.आई.एफ. पर आधारित है		
	- निर्मित सामान की खरीद	–	–
	- कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ सहित)	–	–
	- पूंजीगत सामान	–	–
	- स्टोर्स, स्पयेर्स तथा उपभोज्य	शून्य	शून्य
6.2	विदेशी मुद्रा पर व्यय	शून्य	शून्य
क)	यात्रा		
ख)	वित्तीय संस्थानों/बैंको को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया रुपया/ब्याज	शून्य	शून्य
ग)	अन्य व्यय :		
	- बिक्री पर कमीशन	–	–
	- कानूनी तथा व्यावसायिक व्यय	–	–
	- विविध व्यय	–	–
6.3	अर्जन		
	- एफ. आई. बी. आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखा परीक्षकों के लिए	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
- कराधान मामले	0.00	0.00
- प्रबंधन मामले	0.00	0.00
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ;ब्ए।ण्ळण्द्ध द्वारा प्रमाणन	1,47,255.00	2,36,355.00
- अन्य	0.00	0.00

8. अनुवर्ती आंकड़ों को पिछले वर्ष के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, इन्हें पुर्नसमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

9. संलग्न 1 से 25 तालिकाएं 31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र तथा इस तारीख को समाप्त आय–व्यय खाते का समग्र भाग है।

लेखा अधिकारी **प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी**